हिमाचल की प्रगति एवं संस्कृति का दर्पण

गिरिराज

साप्ताहिक

डाक पंजीकरण संख्या
एच.पी./42/एस.एम.एल. 2009-11
साप्ताहिक आर.एन.आई. 32195/78

गिरिराज के पाठकों को
पूर्ण राज्यत्व दिवस
व
गणतंत्र दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं

इस अंक में

कृषि/बागबानी...5, पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मुख्य मंत्री का विशेष आलेख पृष्ठ 6-7, साहित्य...8, महिला/ बाल जगत/स्वास्थ्य ...9, पहाड़ी पृष्ठ...10

वर्ष 34 अंक 17 शिमला, 25–31 जनवरी, 2012 हर बुधवार को प्रकाशित मूल्य : एक प्रति 3.00 रुपये वार्षिक 140 रुपये आजीवन 1500 रुपये website : himachalpr.gov.in/giriraj.asp

उपायुक्तों को लम्बित योजनाओं का कार्य पूर्ण करने के निर्देश

मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा संस्तुति संदर्भों की रिपोर्ट 15 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश

मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने उपायुक्तों से उनके अधिकार क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही विकास योजनाओं को उच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री गत दिनों धर्मशाला स्थित मिनी सचिवालय में चम्बा व ऊना जिलों के उपायुक्तों को उनके स्तर पर आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए संस्तुत संदर्भों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने चम्बा जिले के उपायुक्त को सभी औपचारिकताओं को पूरा कर बस स्टैंड, मलनिकासी, पेयजल आपूर्ति व चम्बा शहर व उसके साथ लगते क्षेत्रों की अन्य योजनाओं के कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा संस्तुत संदर्भों को निर्धारित समय पर पूरा करने और इस बारे में 15 दिनों के भीतर कार्यों के स्तर की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जटिल कागजी कार्रवाई को कम करने के उद्देश्य से ई-समाधान कार्यक्रम आरम्भ किया है। विभिन्न विभागों में विकास परियोजनाओं के लिए निविदा जारी करते समय पारदर्शिता व कुशलता लाने के उद्देश्य से ई-निविदा प्रणाली आरम्भ की गई है। ई-समाधान के आदर्श उपयोग से विभिन्न विभागों के बीच सम्प्रेषण की गति में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को उनके अधिकार क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही विकास गतिविधियों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे लोगों को उनके क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी मिल सके।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को भारी वर्षा व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त परियोजनाओं के जीर्णोद्धार एवं रखरखाव के लिए मनरेगा का लाभ उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर (शेष पृष्ठ 11 पर)

पांच जिलों में लागू होगी ₹321 करोड़ की कृषि विविधता प्रोत्साहन परियोजना

मुख्य मंत्री का शीतकालीन प्रवास

मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश में फसल विविधीकरण तथा जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी (जाईका) के माध्यम से वित्त पोषित 321 करोड़ रुपये की कृषि विविधता प्रोत्साहन परियोजना कार्यान्वित की गई है, जिसे राज्य के पांच जिलों, हमीरपुर, मण्डी, कांगड़ा, ऊना तथा बिलासपुर में कार्यान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री गत दिनों हमीरपुर जिले के समीरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांव समीरपुर में 1.40 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सुविधायुक्त प्रारम्भिक शिक्षा भवन का लोकार्पण किया तथा एक करोड़ 25.43 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित संयुक्त कार्यालय भवन की आधारशिला रखी।

उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की हैं ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिल सकें और उनकी आर्थिकी सुदृढ़ बन सके। उन्होंने कहा कि 353 करोड़ रुपये की पंडित दीनदयाल किसान बागबान समृद्धि योजना, 300 करोड़ रुपये की दूध गंगा योजना तथा 321 करोड़ रुपये की फसल विविधीकरण योजना आरम्भ की गई है। इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को उपदान की सुविधा दी गई है। पंडित दीनदयाल किसान बागबान समृद्धि योजना के अन्तर्गत पॉली हाउस का निर्माण करने पर विश्व में सबसे अधिक 80 प्रतिशत तक का उपदान, दूध गंगा योजना के तहत समान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के वर्ग को 33 प्रतिशत का उपदान और भेड़पालक समृद्धि योजना के तहत अच्छी नस्ल की भेड़ें की खरीद के लिए 33 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है तथा इन योजनाओं के सार्थक परिणाम सामने आए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बंदरों एवं जंगली जानवरों के उत्पात के प्रति गंभीर है और इस दिशा में प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं ताकि किसानों की फसलों को बचाया जा सके। बंदरों व जंगली जानवरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए 25 नसबंदी केन्द्रों की स्थापना की जा रही है, जिनमें इस वर्ष दो लाख बंदरों की नसबंदी करने (शेष पृष्ठ 11 पर)

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर जिले के समीरपुर में संयुक्त कार्यालय भवन का शिलान्यास रखते हुए

जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं पर ₹57.88 करोड़ व्यय

- ई-समाधान द्वारा 2892 शिकायतों का समाधान
- नारा-गलोट मार्ग का लोकार्पण
- नालटी विद्यालय में विज्ञान खंड का उद्घाटन

मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हमीरपुर जिला में इस वित्त वर्ष में पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर 57.88 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी गत दिनों हमीरपुर जिला के नारा में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए दी। मुख्य मंत्री हमीरपुर जिला के दो दिवसीय शीतकालीन प्रवास के दौरान 1.52 करोड़ रुपये की लागत से नारा-गलोट मार्ग पर नवनिर्मित पुल और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नालटी में 62.68 लाख रुपये की लागत से निर्मित विज्ञान खंड का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बाबा बालक नाथ मंदिर को रज्जू मार्ग से जोड़ने के लिए योजना तैयार की है तथा धनेटा-बंगाणा सुरंग का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिले के लोगों से मुख्यमंत्री कार्यालय को 6535 संदर्भ प्राप्त हुए थे, जिन्हें जिला प्रशासन को उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया गया था। इनमें से अभी तक 5609 पर कार्रवाई सुनिश्चित बनाई गई है। उन्होंने कहा कि ई-समाधान पर प्राप्त 2996 शिकायतों में से 2892 का समाधान कर दिया गया है, जबकि उपायुक्त कार्यालय पर प्राप्त 1724 आग्रहों में से 1622 पर कार्यवाही सुनिश्चित बनाई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भरलहाड़ी, नालटी और नारा क्षेत्र के लिए सिंचाई योजना के निर्माण पर 2.26 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। डकनाल नाले पर चैक डैम बनाया जाएगा। उन्होंने महिला मण्डल भवन के लिए धन राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया तथा नारा से नालवी तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए 2 लाख रुपये स्वीकृत किए। उन्होंने कहा कि नारा पंचायत में प्राथमिकता के आधार पर पशु औषधालय कार्यशील बनाया जाएगा। उन्होंने चंगर से बाड़ी सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए 2 लाख रुपये स्वीकृत किए। प्रो. धूमल ने लोगों का आह्वान किया (शेष पृष्ठ 11 पर)

बेटी है अनमोल कार्यक्रम

शिशु लिंग अनुपात में हुआ सुधार

स्वास्थ्य मंत्री डा. राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा बेटी है अनमोल कार्यक्रम के तहत आरम्भ किए गए प्रभावशाली अभियान के दृष्टिगत राज्य में शिशु लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष) में सुधार आया है। वर्ष 2001 के 896 के मुकाबले वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह 906 हुआ है। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण इसके ठोस परिणाम सामने आए हैं। राज्य में शिशु लिंग अनुपात में अन्य राज्यों उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश व कर्नाटक के मुकाबले सुधार हुआ है।

स्वास्थ्य मंत्री गत दिनों शिमला में गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व जांच तकनीक अधिनियम, 1994 के तहत गठित राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष) में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि उत्तराखंड में 908 से 886, राजस्थान में 909 से 883, उत्तर प्रदेश में 916 से 899, महाराष्ट्र में 913 से 883, आन्ध्रप्रदेश में 961 से 943 तथा कर्नाटक में 946 से 943 की कमी दर्ज की गई।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण, स्नातक (शेष पृष्ठ 11 पर)

कोट गांव में प्रशासन जनता के द्वार

जरूरतमंद व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹17 करोड़ प्रदान

मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रशासन को लोगों के घर द्वार तक लाकर उनकी समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए राज्य सरकार ने प्रशासन जनता के द्वार पर कार्यक्रम आरम्भ किया है, जिन शिकायतों का निपटारा उसी समय संभव नहीं है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि इनका निपटारा समयबद्ध सीमा में सुनिश्चित बनाया जाए। मुख्यमंत्री गत दिनों जिला हमीरपुर के हमीरपुर उपमंडल के कोट में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने 80 लाख रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाली 1.6 किलोमीटर लम्बी कोट-धावन सड़क तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोट में 70 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली विज्ञान प्रयोगशाला का शिलान्यास किया। उन्होंने विकास में जन सहयोग के अन्तर्गत इस स्कूल में निर्मित हॉल का लोकार्पण किया। इस कार्य के लिए श्रीमती मनसा देवी ने 1.25 लाख रुपये और श्री शक्ति चंद ने 61,000 रुपये (शेष पृष्ठ 11 पर)

आत्मनिर्भरता की राह पर महिलाएं

● आरती गुप्ता

भारतीय समाज में नारी का चिरकाल से गौरवपूर्ण स्थान रहा है। हमारे वेददृष्टा मनीषियों ने परिवार और समाज में नारी के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता' अर्थात जिस समाज में स्त्रियों को सम्मान मिलता है, वहां देवता निवास करते हैं। भारत को 'विश्वगुरू' का सम्मान दिलाने में हमारी मातृ शक्ति का ही योगदान रहा है। महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास के महान् बनने में उनकी पत्नियों का महान् योगदान था। महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी को महान राष्ट्र नायक बनाने में बाल्यकाल में उनकी माता के द्वारा दी गई शिक्षा और संस्कार ही प्रभावी थे।

महिला उत्थान और अधिकारिता के नए-नए शिखरों पर विजय पाने की यह कामयाबी तब मिल रही है, जब महिला राजनीतिक सशक्तिकरण की दृष्टि से भारत का कद निरन्तर बढ़ता जा रहा है। विभिन्न देशों की कतार में भारत कई पायदान चढ़कर 24वें स्थान पर जा पहुंचा है। आज संसद के विभिन्न पदों में 11 प्रतिशत पर और मंत्री पदों में 10 प्रतिशत पर महिलाएं काबिज हैं।

वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार साक्षर पुरूषों का प्रतिशत 40 और साक्षर महिलाओं का प्रतिशत मात्र 15 था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में महिला साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों की बात करें तो 1971 में महिला साक्षरता दर 22 प्रतिशत थी, जो बढ़ते-बढ़ते 2011 में 54.28 प्रतिशत हो गई। यह जबरदस्त बदलाव इसलिए हो सका कि लड़कियों, विशेष रूप से निर्धन परिवारों की लड़कियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न सरकारों ने मुफ्त पुस्तकें, मुफ्त वर्दी, छात्रवृत्तियां और दोपहर का मुफ्त भोजन देने, छात्रावास बनवाने तथा बेटी है अनमोल योजना जैसे प्रोत्साहनकारी कदम उठाए हैं।

महिलाओं में शिक्षा प्रसार के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों एवं स्वायत-संस्थाओं में महिला कर्मचारियों की संख्या व वर्चस्व बढ़ने लगा है। वर्ष 2004 में की गई सरकारी कर्मचारियों की जनगणना के अनुसार 1995 में पुरुषों के मुकाबले महिला कर्मचारियों का अनुपात मात्र 7.43 प्रतिशत था। वर्ष 2001 में यह बढ़कर 7.53 और 2004 में 9.68 प्रतिशत हो गया।

महिला शिक्षा प्रसार का दूसरा लाभ यह हुआ है कि लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह की भावना और उन्हें परिवार के लिए बोझ मानने की मनःस्थिति समाप्त हो जाने से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का संख्या-अनुपात बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले 48 प्रतिशत थी लेकिन इधर अनुपात की खाई कम होने के ठोस प्रमाण मिले हैं। दिल्ली में तो वर्ष 2008 में स्त्री-पुरुष के बीच संख्या अनुपात में महिलाएं आगे निकल गई हैं।

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी और बहुस्तरीय अवधारणा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो महिलाओं को संसाधनों पर अधिक भागीदारी और अधिक नियंत्रण प्रदान करती है। ये संसाधन नैतिक, मानवीय, बौद्धिक और वित्तीय सभी हो सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश, देश के उन कुछ प्रथम राज्यों में शामिल है, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए हैं। मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों को 11,001 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके लिए सरकार ने वार्षिक पात्रता आय सीमा 7500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है। गत चार वर्षों में 3221 कन्याओं की शादी के लिए 3.54 करोड़ स्वीकृत किए गए।

मदर टेरेसा मातृ शक्ति सम्बल योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों की बेसहारा महिलाओं को प्रति बच्चा 2000 रुपये ग्रांट के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं तथा इसके लिए, वार्षिक आय सीमा को 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये किया गया है। यह मदद दो बच्चों के लिए दी जा रही है। गत चार वर्षों में इस योजना से 39838 बच्चे लाभान्वित हुए। एकल महिलाओं को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाया गया है। सभी महिला कर्मियों को बच्चा जनने पर प्रसूति अवकाश की सुविधा प्रदान की गई है। इनमें अनुबंध और दैनिक भोगी महिला कर्मी भी शामिल है।

कामकाजी महिलाओं को रक्षा बंधन, भैया दूज और करवा चौथ के अवसर पर अवकाश की सुविधा प्रदान की है सरकार ने, रक्षा बंधन और भैया दूज के अवसर पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिल जाती है। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को ईद-उल-जूहा पर पथ परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा सुविधा दी जा रही है। मातृ शक्ति बीमा योजना, के अन्तर्गत बीमा राशि में चार गुणा वृद्धि की गई है। अपंगता की स्थिति में 50 हजार रुपये तथा मृत्यु होने पर एक लाख रुपये की बीमा राशि दी जा रही है। यह राशि कमाने वाले पति की मृत्यु की स्थिति में भी देय है।

प्रदेश में महिलाओं के कल्याण के लिए नारी सेवा सदन चलाए जा रहे हैं, जहां बेसहारा, असहाय, पथ भ्रष्ट, परित्यक्त महिलाओं को आश्रय दिया जा रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और काम धंधा शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत 233 विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए 25,000 रुपये प्रति स्वीकृत किए गए। बिलासपुर ज़िले के नयनादेवी के बस्सी में भारतीय महिला रिज़र्व बटालियन की स्थापना की गई, जिसमें 1007 महिलाओं को रोज़गार मिला मातृ सेवा योजना' के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क संस्थागत प्रसव कराने के अतिरिक्त उन्हें 48 घंटे तक निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समय-समय पर महिलाओं के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें महिला मण्डलों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन्हीं शिविरों में महिलाओं को कुरीतियों के विरूद्ध आवाज बुलन्द करने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाता है। महिलाओं को विविध विषयों में सलाह देने उन्हें जागरूक करने और उनकी समस्याओं का निदान करने में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है।

प्रदेश में बीते एक दशक के दौरान कई मामलों में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। इसका खुलासा सांख्यिकी दिवस पर जारी हुई ताजा रिपोर्ट में हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में लिंग अनुपात , साक्षरता, आम चुनाव में भागीदारी एवं सरकारी क्षेत्र में महिला कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि प्रदेश में महिलाओं पर अपराध की दर कम हुई है। लिंग अनुपात, दस वर्ष पूर्व 968 था, जो 2011 में बढ़कर 974 हो गया है। समाज से लिंग भेद की भावना समाप्त कर लोगों को बालिका के महत्व के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में 'बेटी है अनमोल' योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत बेटी के जन्म पर दो बेटियों तक 5100-5100 रुपये डाकघर में जमा किए जाते हैं, जो 18 वर्ष की आयु होने पर ब्याज सहित अनमोल उपहार के रूप में दिए जाते हैं। वृद्धि दर 12.50 से बढ़कर 13.13 हो गई है।

1991 में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने के बाद से राजनीति में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी। हर वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में लगभग 14 लाख महिलाएं पंचायत प्रमुख के रूप में चुनी जाती हैं।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में किये गये प्रयासों से आज महिलाओं की स्थिति में व्यापक बदलाव आया है। महिलाएं जीवन में सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। हिमाचल की मेहनतकश महिलाओं ने भी समाज के समक्ष उदाहरण पेश किया है तथा आज प्रदेश की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

हिमाचल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश, देश के उन कुछ प्रथम राज्यों में शामिल है, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए हैं। प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही महिला कल्याण योजनाओं के परिणाम सामने आने लगे हैं तथा आज प्रदेश की नारी आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ी है। यहां की मेहनतकश महिलाओं ने देश को एक नई राह दिखाई है।

किसानों को आवश्यकतानुसार खाद उपलब्ध

कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने गत दिनों शिमला में बताया कि रबी मौसम 2011-12 के लिए प्रदेश में 78000 मीट्रिक टन की खाद की आवश्यकता आंकी गई थी। इस के दृष्टिगत वितरण एजेंसियों, हिमफैड और इफ्को को आपूर्तिकर्ताओं से महीने की आवश्यकता के अनुसार खाद का प्रबंध करने के लिए कहा गया था। केंद्र सरकार को हर माह मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति का ब्यौरा भेजा जाता है। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में किसानों को आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जनवरी 2012 तक 62700 मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता के मुकाबले 37858 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध करवाई गई, जिसमें से दिसम्बर 2011 तक किसानों को 25923 मीट्रिक टन खाद वितरित की गई। जबकि जनवरी 2012 के लिए 11935 मीट्रिक टन खाद का भण्डारण उपलब्ध है और शीघ्र ही चण्डीगढ़ रेक प्वाईंट पर इफ्को यूरिया की 2650 मीट्रिक टन आपूर्ति पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि एनएफएल नंगल संयंत्र से भी यूरिया खाद की आपूर्ति बहाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों को खाद उपलब्ध करवाने के प्रति वचनबद्ध है और मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एनएफएल नंगल द्वारा आपूर्ति न करने के कारण प्रदेश में यूरिया खाद की कुछ कमी महसूस की गई। एनएफएल द्वारा जनवरी 2012 में यूरिया खाद की बिलकुल आपूर्ति नहीं की गई। इस मामले को केंद्रीय खाद विभाग से भी उठाया गया। उनसे आग्रह किया गया है कि एनएफएल को 4.13 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति मीट्रिक टन भाड़ा स्वीकृत किया जाए ताकि एनएफएल घाटे में न रहे। किन्तु इस विषय में निर्णय अभी लंबित है। अच्छी वर्षा और बर्फबारी के कारण किसान अधिक खाद की मांग कर रहे हैं तथा खाद की अधिक आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जा रही है।

प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिसम्बर, 2011 में एमओपी खाद का 2700 मीट्रिक टन का एक रैक आर्वटित किया था, किन्तु इंडियन पोटाश लि. द्वारा अभी तक इसे राज्य में नहीं पहुंचाया गया है। इस कंपनी को रेलवे द्वारा एमओपी खाद को हिमाचल तक पहुंचाने के लिए रेक नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस मामले को भी केंद्र सरकार से उठाया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 2011 में केंद्र सरकार ने 'पी' एण्ड 'के' खाद तथा एसएसपी खाद का अधिकतम खुदरा मूल्य खुला रखा है, जिसे खाद कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। कंपनियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे खाद के बैग पर अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ पौष्टिकता के अनुसार उपलब्ध उपदान का प्रकाशन सुनिश्चित बनाएं। एसएसपी खाद के अतिरिक्त सभी प्रकार की खाद का प्रापण केंद्र सरकार से किया जा रहा है।

जैविक खेती बनी किसानों की पहली पसंद

हिमाचल प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और लगभग 71 प्रतिशत लोगों को यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। इस के दृष्टिगत गत चार वर्षों में वर्तमान प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र की बेहतरी और कृषक समुदाय की सामाजिक- आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं एवं कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। राज्य के बजट का 12 प्रतिशत कृषि क्षेत्र पर व्यय किया जा रहा है, जोकि देश भर में सर्वाधिक है।

कृषि उत्पादन में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तथा किसानों की आर्थिकी को सुधारने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य की विषम कार्य परिस्थितियां, दुर्गम क्षेत्र तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य की कृषि आर्थिकी प्रभावित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कृषि विविधिकरण पर विशेष बल दिया है ताकि कृषि उत्पादन में बढ़ौतरी के साथ- साथ उत्पाद की गुणवता विश्वस्तरीय बन सके और कृषकों को उनकी फसल की भरपूर कीमत मिल सके।

राज्य के कुल सकल घरेलु उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत कृषि क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश सरकार किसानों तक विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा आधुनिक तकनीक के लाभ पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है। मिट्टी, भूमि और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार दोहन किया जा रहा है ताकि पर्यावरण संरक्षण को अपनाकर कृषक समुदाय का आर्थिक उत्थान सुनिश्चित बनाया जा सके।

प्रदेश सरकार के इन प्रयासों के परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में सतत वृद्धि हो रही है। वर्ष 1951-52 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 200 हजार टन था, जोकि वर्ष 2010-11 में बढ़कर 1579 हजार टन हो गया है। मक्की जोकि राज्य की मुख्य फसल है, का वर्ष 2010-11 में कुल उत्पादन 740.64 हजार टन रहा, जबकि वर्ष 1951-52 में यह केवल 67.3 हजार टन था। चावल उत्पादन वर्ष 1951-52 के 28.3 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 113.54 हजार टन हो गया। वर्ष 2010-11 में राज्य में 670.04 हजार टन गेहूं का उत्पादन हुआ, जो वर्ष 1951-52 में 61.2 हजार टन था। सब्जी उत्पादन, जोकि वर्ष 1951-52 में 25 हजार टन था, वर्ष 2010-11 में बढ़कर 1269 हजार टन हो गया। इसी प्रकार अदरक का वर्ष 2010-11 में 3.20 हजार टन उत्पादन हुआ, जबकि वर्ष 1951-52 में यह 1.24 हजार टन था। वर्ष 1951-52 के 1.60 हजार टन के मुकाबले वर्ष 2010-11 में प्रदेश में 205.97 हजार टन आलू का उत्पादन हुआ। प्रदेश में तिलहन तथा दालों का उत्पादन बढ़ाने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान रबी मौसम में राज्य सरकार ने 7.41 लाख टन खाद्यान्न, 3.36 हजार टन तिलहन, 27 हजार टन आलू और 5.20 लाख टन सब्जी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा जैविक खेती को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के वित्तपोषण से 321 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश कृषि विविधीकरण योजना आरम्भ की है। यह योजना राज्य में कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में आशातीत वृद्धि करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करेगी।

उच्च मूल्य वाली फसलों तथा तकनीक के माध्यम से पारम्परिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र के विकास में तेजी लाने तथा स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 353 करोड़ रुपये की पण्डित दीन दयाल किसान बागवान समृद्धि योजना आरम्भ की है। इसके तहत बनाए जा रहे पालीहाउस से उत्पादन लागत में कमी आई है और आय में वृद्धि हुई है। पालीहाउस में सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से 40 प्रतिशत तक पानी की बचत हुई है।

कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा जैविक खेती को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के वित्तपोषण से 321 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश कृषि विविधीकरण योजना आरम्भ की है। यह योजना राज्य में कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में आशातीत वृद्धि करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करेगी। प्रदेश की सभी पंचायतों में कृषि आधारित योजनाओं के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से कृषक मित्र तैनात किए जा रहे हैं। अभी तक 3100 पंचायतों में कृषक मित्र चयनित किए गए हैं।

राज्य सरकार ने लघु तथा सीमांत किसानों को 10 लाख रुपये तक की भूमि मार्टगेज डीड पर स्टांप डयूटी में छूट प्रदान की है तथा 1950 से 1960 की अवधि के तकावी ऋण एवं मृदा संरक्षण/भूमि विकास से संबंधित ऋण माफ किए हैं। इससे 43485 लघु एवं सीमांत किसानों को 4.95 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।

राज्य सरकार फल तथा सब्जी मार्किट का आधुनिकीकरण सुनिश्चित बना रही है ताकि किसानों तथा बागवानों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाओं के साथ-साथ उनके उत्पाद के समुचित दाम मिलें। किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुए 48 मार्किट निर्मित की गई हैं तथा 8 का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

राज्य सरकार जैविका खेती को विशेष बढ़ावा दे रही है। वर्तमान में राज्य में 25000 किसान जैविक खेती से जुड़े हैं। प्रदेश में 4 लाख केंचुआ खाद इकाइयां स्थापित की गई हैं। किसानों को 7200 मीट्रिक टन उन्नत बीज, 29500 मीट्रिक टन खाद, 10 मीट्रिक टन जैविक खाद, 45 मीट्रिक टन दवाइयां और 50 हजार स्तरोन्नत कृषि उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। (सूजसवि)

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के शीतकालीन प्रवास के लिए धर्मशाला आगमन पर स्वागत करते हुए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्री रविंद्र रवि

जियोथर्मल ऊर्जा के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश

मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने श्री विजय चौहान द्वारा किए गए अनुसंधान के दृष्टिगत प्रदेश में उपलब्ध जियोथर्मल ऊर्जा संसाधन के समुचित दोहन के लिए एक कार्य योजना प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मण्डी के छात्र श्री विजय चौहान को हिमाचल प्रदेश के जियोथर्मल ताप संसाधनों के विषय तथा आने वाले वर्षों में ऊर्जा के सतत् स्रोत के रूप में इनके प्रयोग के संबंध में अनुसंधान कार्य पूरा करने पर बधाई दी। इससे आने वाले वर्षों में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हिमालय जियोथर्मल क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह क्षेत्र लद्दाख से लेकर उत्तर पूर्व में स्थित असम तक 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 150 से अधिक थर्मल स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि देश की कुल जियोथर्मल ऊर्जा क्षमता 10,600 मेगावाट आंकी गई है। जम्मू-कश्मीर के पूगा तथा हिमाचल प्रदेश के पार्वती एवं कुल्लू घाटी स्थित थर्मल क्षेत्र उच्च ताप के लिए जाने जाते हैं तथा इन क्षेत्रों में गर्म पानी के चश्मे पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि तत्तापानी, पूगा, ब्यास, पार्वती, सतलुज, भगीरथी और अलकनन्दा हिमालय जियोथर्मल क्षेत्र के उप क्षेत्र हैं, जहां उपलब्ध ऊर्जा स्रोत विद्युत परियोजनाएं विकसित करने के लिए श्रेष्ठ हैं। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष उपयोग तथा हॉट ड्राई रॉक फिजीबिलिटी स्टडी आरम्भ के लिए भी उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा कि जियोथर्मल ऊर्जा क्षमता के दोहन से क्षेत्र के प्रत्येक घर को अपनी घरेलू ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए समुचित बिजली मिलेगी। यह आर्थिक रूप से भी सुरक्षित होगी।

प्रो. धूमल ने कहा कि इस क्षेत्र की विभिन्न कृषि जलवायुगत परिस्थितियां फलों की विभिन्न किस्मों के उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं, किन्तु समुचित खाद्य विधायन अधोसंरचना के अभाव में खाद्य पदार्थ अन्य क्षेत्रों से आयात करने पड़ते हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध जियोथर्मल संसाधनों के दोहन से यह क्षेत्र देश का बड़ा खाद्य उत्पादक एवं विधायन क्षेत्र बन सकता है।

गर्म पानी के चश्मों का दोहन कर होगा ऊर्जा उत्पादन

कृषि आधारित उद्योग के साथ-साथ यहां नष्ट होने वाले कृषि उत्पाद के भण्डारण के लिए बड़ी अभिशीतन सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। जियोथर्मल संसाधनों के विषय में उपलब्ध डाटा इस ओर संकेत करता है कि हिमालय जियोथर्मल क्षेत्र में ऊर्जा तथा अन्य प्रत्यक्ष कार्य सम्भव हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध जियोथर्मल संसाधनों के उपयोग से स्वच्छ विकास प्रक्रिया अपनाने में सहायता मिलेगी, पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से निर्भरता घटेगी और विश्व स्तर पर मौसम में हो रहे बदलाव को रोकने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 23,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता दोहन के लिए उपलब्ध है, जिसमें से अभी तक केवल 25 प्रतिशत का दोहन हो पाया है तथा आने वाले कुछ वर्षों में इसके 50 प्रतिशत होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि राज्य इस दशक में समूची उपलब्ध जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश ताप ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रहा है ताकि राज्य की जल विद्युत क्षमता के साथ-साथ अन्य ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि की जा सके, जिससे आपात स्थिति से निपटने के लिए सुदृढ़ वैकल्पिक ऊर्जा सहायता प्रणाली विकसित की जा सके। उन्होंने कहा कि जीवन शैली में बदलाव और बेहतर परिस्थितियों के कारण ऊर्जा की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश की विद्युत क्षमता घरेलू तथा पड़ोसी राज्यों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम हैं। हिमाचल वैकल्पिक ऊर्जा बैकअप प्रदान करने में भी सक्षम है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी संभावित वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालियों पर कार्य चल रहा है तथा इस दिशा में एक कार्य योजना तैयार की जा रही है।

प्रो. धूमल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आई.आई.टी. युवा अनुसंधानकर्ता श्री विजय चौहान के अनुसंधान का लाभ उठाया जाए और एक समुचित कार्य योजना तैयार की जाए ताकि राज्य के हित में गैर पारम्परिक ऊर्जा प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके।

मंगता-कुशवा सड़क का कार्य शीघ्र आरम्भ होगा

प्रदेश सरकार कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र की मंगता-कुशवा सड़क निर्माण के प्रति वचनबद्ध है। यह आश्वासन लोक निर्माण मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह ने गत दिनों शिमला में उनसे मिलने आये आनी क्षेत्र के विधायक श्री किशोरी लाल सागर को दिया। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि मंगता-कुशवा सड़क का निर्माण कार्य मैसर्ज राकेश ठेकेदार को 252.02 लाख रुपये में दिया था परन्तु ठेकेदार द्वारा 18.56 लाख रुपये कार्य पूरा करने के उपरांत कार्य अधूरा छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि इसके लिए 6 बार निविदा मांगी गई परन्तु हर बार निविदा की दर बहुत अधिक रही, जो स्वीकार करने लायक नहीं थी।

ठाकुर गुलाब सिंह ने कहा कि हाल ही मे 24 सितम्बर, 2011 को निविदा आमंत्रित की गई और यह पाया गया कि सबसे कम लागत की निविदा अनुमानित लागत 396.82 लाख रुपये के मुकाबले 509.14 लाख रुपये की थी। उन्होंने कहा कि निविदा पुन: आमंत्रित की जा रही है और ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

खनियारा से त्रियूंड तक बनेगा रज्जू मार्ग

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि राज्य सरकार ने खनियारा (परोला) से त्रियूंड तक रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए सर्वेक्षण करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व धर्मकोट से त्रियूंड तक रज्जू मार्ग तक निर्मित करने बारे 23 फरवरी 2009 तथा 7 अप्रैल 2010 को विज्ञापन दिया गया था लेकिन किसी भी निर्माता से इस अवधि में कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि मैसर्ज राइट्स द्वारा इस रज्जू मार्ग के निर्माण बारे नवीन सर्वेक्षण किया गया है।

अनुसूचित जाति उपयोजना पर व्यय हो रहे ₹816 करोड़

प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति उपयोजना का बजट 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया है, इसके तहत इस योजना पर चालू वित वर्ष में 816 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी उद्योग, श्रम एवं सैनिक कल्याण मंत्री श्री किशन कपूर ने गत दिनों धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र के टंग नरवाणा में गुरु रविदास भवन और सामुदायिक भवन का शिलान्यास करने के उपरांत एक जनसभा को संबोधित करते हुए दी। इसके उपरांत उद्योग मंत्री ने टंग नरवाणा और बरवाला में लोगों की समस्याएं भी सुनीं। श्री कपूर ने कहा कि राज्य में गत चार वर्षों में गुरू रविदास नागरिक सुविधाएं उन्नयन योजना के तहत 48 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं जबकि चालू वित वर्ष में दस करोड़ की राशि व्यय की जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के निर्धन एवं कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति कृतसंकल्प है। इन वर्गों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा अनेकों कार्यक्रम तथा योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति जनसंख्या बहुल गांव के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना आरंभ की गई है। योजना के तहत इस वर्ष 136 गांवों में सड़क नेटवर्क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइटस जैसी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

श्री कपूर ने बताया कि टंग नरवाणा क्षेत्र में पेयजल सुविधा पर 85 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी इस के तहत मछान, उथराग्रां, टिक्करी, अंदरांग तथा टंग गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर उद्योग मंत्री के समक्ष टंग नरवाणा और बरवाला में लोगों द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़े 116 मामले प्रस्तुत किए गए जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल धर्मशाला में जन समस्याओं का निपटारा करते हुए

राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा 14.50 करोड़ के कार्य निष्पादित

हि.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित लक्ष्य 14 करोड़ के मुकाबले दिसम्बर, 2011 तक 14.50 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य किए गए। यह जानकारी निगम के एक प्रवक्ता ने गत दिनों शिमला में दी। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा इस वित्त वर्ष के अन्त तक 18 करोड़ रुपये के कार्य करने की उम्मीद है, जो निर्धारित लक्ष्य से लगभग 30 प्रतिशत अधिक होगा। यह मुख्य कार्य विभिन्न विभागों, उद्योग, तकनीकी शिक्षा, मत्स्य, पुलिस/जेल इत्यादि विभागों में किया गया। वर्तमान में हि.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा 3500 करोड़ रुपये का सिविल कार्य किया जा रहा है, जिसका कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है।

उन्होंने कहा कि हि.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम के निदेशक मण्डल ने हाल ही में निगम के सिविल निर्माण विंग को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके अन्तर्गत दो डिग्रीधारक सहायक अभियन्ता (सिविल), एक सहायक वास्तुकार और तीन कनिष्ठ अभियन्ताओं की भर्ती की जा रही है, जिसकी प्रक्रिया पहले ही आरम्भ कर दी गई है। जैसे ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी, वैसे ही निगम के अन्य प्रभागों को भी स्तरोन्नत किया जाएगा।

हि.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम न केवल विभिन्न कार्यों को समय पर पूरा करने के प्रति वचनबद्ध रहता है, बल्कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर भी पूरी तरह ध्यान देता है। निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की समय पर समीक्षा की जाती है। कार्यों का समय-समय पर अनुश्रवण किया जाता है ताकि कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जा सके।

पॉली हाउस निर्मित करने के लिए ₹65 करोड़ का उपदान

राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए आरंभ की गई पंडित दीनदयाल किसान-बागबान समृद्धि योजना के तहत गत चार वर्षों में 8740 पॉली हाउस निर्मित किए गए हैं जिस पर किसानों को 65 करोड़ का उपदान दिया गया है।

यह जानकारी खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री रमेश धवाला ने कुटियारा में आयोजित जिला स्तरीय कृषक सम्मान समारोह में बतौर मुख्यातिथि उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए दी।

श्री धवाला ने कहा कि पंडित दीनदयाल किसान-बागबान समृद्धि योजना के तहत कांगड़ा जिला में नवम्बर, 2011 तक 21 हेक्टेयर भूमि पर 1556 पॉलीहाउस स्थापित किए गए हैं जिन पर 11 करोड़ से अधिक की राशि उपदान के रूप में किसानों को उपलब्ध करवाई गई।

उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिला में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चालू वित्त वर्ष के दौरान 12 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है जिसमें से 7 करोड़ रुपये की राशि नवम्बर, 2011 तक विभिन्न कृषि क्षेत्रों को सुदृढ़ करने पर व्यय की गई।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में

चार वर्षों में 8740 पॉली हाउस निर्मित किए गए

आतमा परियोजना के तहत कृषि, पशुपालन और बागबानी, रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने तथा किसानों को कृषि की आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक के बारे प्रशिक्षण देने के लिए चालू वित वर्ष में 2 करोड़ 30 लाख की कार्ययोजना तैयार की गई है जिसमें से एक करोड़ 18 लाख की प्राप्त राशि में से अब तक 60 लाख रुपये की राशि विभिन्न कृषि गतिविधियों पर व्यय की जा चुकी है।

श्री धवाला ने बताया कि मृदा जांच कार्यक्रम के तहत जिला में चालू वित्त वर्ष के दौरान 14500 मिट्टी के नमूने लेकर जांच की गई तथा इन सभी भू-मालिकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी उपलब्ध करवाए गए जबकि गत तीन वर्षों के दौरान जिला में 40237 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए और किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर फसलों का उत्पादन करने की सलाह भी दी गई।

कार्यक्रम में मुख्यातिथि द्वारा जिला भर के 55 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। इसके अतिरिक्त 13 किसानों को सेरी कल्चर शेड बनाने के लिए बीस-बीस हजार रुपये की पहली किस्त प्रदान की गई।

गिरिराज
हिमाचल की प्रगति और संस्कृति का दर्पण

जब आपके पास कहने को कोई अच्छी बात हो तो कह डालिये, लेकिन कोई बुरी बात है तो कुछ और बात कीजिये। *–क्रिस्टियॉन डी. लारसन*

विकास के नये शिखरों पर हिमाचल

25 जनवरी हिमाचल प्रदेश के गौरवमय इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित है। 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय गणतन्त्र का 18वां राज्य बना था। इसी दिन प्रदेश के लोगों को अपने भाग्य का निर्माण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। राज्य ने इन चार दशकों की विकासात्मक यात्रा में विकास के जो अनेक मील पत्थर स्थापित किये हैं। उस पर प्रत्येक हिमाचली को नाज है। जहां वर्ष 1971 में सड़कों की लम्बाई मात्र 7740 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 33 हजार किलोमीटर से अधिक हो गई है। साक्षरता दर 31.3 प्रतिशत से बढ़कर 83.72 प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या 620 से बढ़कर 3833, सभी गांवों को बिजली व पेयजल, प्रति व्यक्ति आय 651 रुपये से बढ़कर 58,493 रुपये, खाद्यान्न उत्पादन 9.34 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 15.79 लाख मीट्रिक टन हुआ है, वहीं फल उत्पादन 1.78 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10.27 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। वार्षिक योजना जो 1972 में मात्र 2.11 करोड़ रुपये थी वर्ष 2012 में बढ़कर 3300 करोड़ रुपये हुई है। विकास के इन मानकों से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल विकास के शिखर पर है। इन वर्षों में यहां के लोगों के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव आया है। मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के चार वर्ष पूर्ण किये हैं। यह कार्यकाल सेवा व सुशासन का रहा है। इस दौरान प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद में आशातीत वृद्धि हुई है। प्रदेश को प्राप्त 51 पुरस्कार इस बात के साक्षी हैं कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। सभी वर्गों को योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लाभ मिले हैं। पूर्ण राज्यत्व का दिन एक ऐसा दिन है जो सब हिमाचलवासी के लिए प्रदेश की बेहतरी के लिए पुन: समर्पित करने का है।

बर्फबारी किसानों के लिए वरदान

जनवरी माह में सम्पूर्ण प्रदेश में हुई बर्फबारी से किसानों बागबानों के साथ पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यावसायिकों के चेहरे भी खिले हैं। लगभग 6 दशक उपरांत प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी बर्फबारी का रिकार्ड बना है। पहाड़ी प्रदेश होने के नाते प्रदेश की कृषि–बागबानी वर्षा तथा बर्फ पर निर्भर है। सरकार कृषि क्षेत्र पर कुल बजट का 12 प्रतिशत व्यय कर रही है। सरकार के प्रयासों व मेहनतकश किसानों की बदौलत खाद्यान्न उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज हुई है। चालू रबी मौसम में 7.41 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन व तिलहन का 3.36 टन, आलू का 25 हजार टन व सब्जी का 5.20 लाख टन उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। किसानों को जैविक खेती की ओर आकर्षित करने के लिए वृहद कार्यक्रम लागू किया है। 25 हजार किसान जैविक खेती के लिए पंजीकृत हुए हैं। किसानों के लाभार्थ रबी मौसम में गेहूं व जौ फसलों पर कृषि बीमा योजना लागू की गई है। सरकार के ये प्रयास कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ता प्रदान कर किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने में सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त भारी बर्फबारी भी बागबानी फसलों के लिए एक शुभ संकेत लेकर आई है। आगामी फल मौसम में अच्छी फसल भी प्रदेश को कृषि आर्थिक तौर पर सशक्त बनाएगी और गांव खुशहाल होंगे।

भारतीय संविधान की निर्माण गाथा

● प्रो. योगेश चन्द्र शर्मा

संविधान–सभा के 11वें अधिवेशन में संविधान के प्रारूप पर तीसरा वाचन 14 नवम्बर से 17 नवम्बर, 1949 तक हुआ तथा 26 नवम्बर, 1949 को इसे अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। यह भी तय किया गया कि इस संविधान को देश में 26 जनवरी, 1950 को लागू किया जाये। कारण था 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व। सन् 1930 को इसी दिन भारतवासियों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूर्ण स्वतन्त्रता की शपथ ली थी और तब से हम 26 जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस के मनाते आ रहे थे।

भारत को अपनी गुलामी के शिकंजे में जकड़ लेने के बाद इंग्लैण्ड ने अपनी संसद द्वारा बनाये गये कानूनों को ही यहां लागू किया था। उस समय हमारे यहां न तो कोई संविधान था और न संविधान–सभा। अलग–अलग विषयों पर बिखरे हुए अलग–अलग कानून थे, जिनसे शासन संचालित होता था। अंग्रेजों के अधीन भारत का संविधान, स्वयं भारतवासियों के द्वारा ही बनाया जाये, इस प्रकार का विचार सर्वप्रथम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किया। उन्होंने 1895 ई. में अपने अन्य साथियों के सहयोग से भारत के लिए स्वराज्य विधेयक का प्रारूप तैयार किया था, जिसमें पहली बार भारत के लिए स्वतन्त्र और इंग्लैण्ड से पृथक संविधान–सभा के गठन की बात कही गयी थी। जैसा कि स्वाभाविक था, अंग्रेजी सरकार ने उनके इस विधेयक पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1922 में महात्मा गांधी ने यह कहकर कि 'भारतीय संविधान, भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा', संविधान–सभा के इस विचार को आगे बढ़ाया। 1924 में स्वराज्य पार्टी की तरफ से पंडित मोती लाल नेहरू ने भारत में संविधान– सभा की मांग की, जिसे अंग्रेजी सरकार ने अस्वीकार कर दिया। श्री एम.एन. राय ने भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी यह घोषणा की, 'यदि भारत को आत्म निर्णय का अवसर मिलना है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की एक प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए, जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर सके।' कांग्रेस की इस घोषणा के पीछे पंडित जवाहर लाल नेहरू की विशेष भूमिका थी।

1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति करते समय अंग्रेजी सरकार ने तत्कालीन भारत मंत्री श्री बर्कनहेड़ ने यह चुनौती दी थी कि भारतवासी स्वयं अपना संविधान बनाने के लिए योग्य और सक्षम नहीं हैं तथा इसीलिए भारतीय प्रशासन में आवश्यक हेरफेर करने के लिए उन्हें स्वयं कमीशन की नियुक्ति करनी पड़ रही है। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कांग्रेस की ओर से फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की 25 बैठकें हुईं और उसके बाद 19 मई को इस सम्मेलन का पुन: आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय संविधान के लिए आवश्यक रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया। नौ सदस्यों वाली इस कमेटी के अध्यक्ष थे पंडित मोती लाल नेहरू और सचिव थे पंडित जवाहर लाल नेहरू। इस कमेटी ने लम्बे विचार विमर्श के उपरात अपनी रिपोर्ट दी, जिसे 'नेहरू–रिपोर्ट' कहते हैं। इस रिपोर्ट की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक व्यक्तियों ने भूरि–भूरि प्रशंसा की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया।

कांग्रेस ने अपने 1936, 1937 तथा 1938 के अधिवेशनों में देश के लिए उसकी अपनी संविधान–सभा की आवश्यकता पर बल दिया तथा उसकी मांग की। 1939 के अधिवेशन में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें कहा गया, 'एक स्वतन्त्र देश के संविधान–निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान–सभा है। जनतंत्र और स्वतन्त्रता में विश्वास न रखने वाले लोग ही इस मांग का विरोध कर सकते हैं।'

भारतवासियों द्वारा बार–बार की जा रही संविधान–सभा की मांग को अंतत: अंग्रेजी सरकार ने अपनी अगस्त 1940 की ऐतिहासिक घोषणा में इन शब्दों के साथ स्वीकार किया, 'भारत का संविधान स्वभावत: स्वयं भारतवासियों द्वारा ही बनाया जायेगा।' 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा प्रस्तुत रपट में इस बात को और अधिक स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करते हुए कहा गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान–सभा का गठन होगा, जो भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। 1946 में केबिनेट मिशन ने अपनी रपट में संविधान–सभा का विस्तृत ब्योरा तैयार किया, जिसके अनुसार हमारे यहां संविधान–सभा का गठन हुआ। देश के विशाल आकार तथा उन दिनों हमारे यहां निरंतर बढ़ रहे सांप्रदायिक उपद्रवों के कारण अंग्रेजी सरकार की दृष्टि में संविधान सभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव संभव और व्यावहारिक नहीं थे। इसलिए संविधान–सभा का गठन परोक्ष चुनावों द्वारा हुआ। यह निश्चित है कि यदि प्रत्यक्ष चुनाव होते, तो भी संविधान–सभा में कमोबेश वही सदस्य आते, जो परोक्ष चुनावों द्वारा आये।

केबिनेट–मिशन की योजना के अनुसार संविधान–सभा के कुल 389 स्थानों में से ब्रिटिश भारत (अंग्रेजी सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण का क्षेत्र अर्थात देशी रियासतों को छोड़कर शेष भारत) को 296 स्थान (मुसलमान 78, सिख 4, चीफ कमिश्नर के क्षेत्र 4 और साधारण 210) तथा देशी रियासतों को 93 स्थान दिये गये। जुलाई 1946 में 296 स्थनों के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस को 208 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिले तथा 8 स्थानों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त की। कम्युनिस्ट पाटी का केवल एक उम्मीदवार विजयी रहा। शेष छ: स्थान अन्य छोटे दलों को मिले। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को वहां के नरेशों ने अपनी–अपनी व्यवस्था के अनुसार भेजा, लेकिन उन्हें संविधान– सभा में सम्मिलित तभी किया, जब उनकी रियासत ने भारत संघ में सम्मिलित होने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य रियासतों ने अगस्त 1947 तक अपनी यह स्वीकृति दे दी थी। इसलिए इन रियासतों के प्रतिनिधियों को अगस्त 1947 तक संविधान–सभा में सम्मिलित कर लिया गया तथा शेष तीन रियासतों के प्रतिनिधि बाद में सम्मिलित हुए। मुस्लिम लीग ने चुनावों, में तो भाग लिया, लेकिन अपनी पाकिस्तान की जिद पर अड़े रहने के कारण उसने संविधान–सभा का बहिष्कार किया। पंजाब में फैल रही अव्यवस्था और सांप्रदायिक दंगों के कारण वहां के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि भी संविधान– सभा की बैठक में भाग नहीं ले सके। अंतिम रूप में संविधान–सभा में कुल 294 सदस्यों ने भाग लिया।

संविधान–सभा की प्रथम बैठक सोमवार 9 दिसम्बर 1946 को प्रात: ग्यारह बजे शुरू हुई, जिसमें श्री सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान–सभा की इस पहली बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। 11 दिसम्बर, 1946 को संविधान– सभा की बैठक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो अंत तक इस पद पर बने रहे। इसके दो दिन बाद 13 दिसम्बर, 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव, सभा में प्रस्तुत किया जो 22 जनवरी, 1947 को पारित किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में मुख्य बातें इस प्रकार थीं–

1. भारत एक पूर्ण संप्रभुतासम्पन्न गणराज्य होगा, जो स्वयं अपना संविधान बनायेगा।

2. भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत में है या देशी रियासतों में हैं या इन दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं, जो प्रभुतासम्पन्न भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं।

3. भारतीय संघ तथा उनकी इकाइयों में समस्त राज शक्ति का मूल स्रोत स्वयं जनता होगी।

4. भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विचार, भाषण, विश्वास, व्यवसाय, संघ–निर्माण और कार्य की स्वतन्त्रता कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होगी।

5. अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ी जातियों तथा कबायली जातियों के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

6. अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास रहेंगी।

उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करते हुए श्री के.एम. मुंशी ने कहा था, 'उद्देश्य सम्बन्धी यह प्रस्ताव ही हमारे स्वतन्त्र गणतंत्र की जन्म कुडली है।' इसी उद्देश्य–प्रस्ताव के आधार पर भारत के संविधान का निर्माण हुआ। परिवर्तन केवल इतना हुआ कि केन्द्र को दृढ़ बनाने की दृष्टि से अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों को न सौंपकर केन्द्र को दी गयी।

संविधान–सभा के परामर्शदाता श्री वी. एन. राव थे। उन्हीं के निर्देशन में संविधान–सभा के कार्यालय ने 60 देशों के संविधानों के प्रमुख तथ्यों को तीन भागों में संकलित करके सदस्यों में वितरित किया तथा मुख्यत: उन्हीं के निर्देशन में विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आधार पर संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (संविधान सभा के अध्यक्ष) के निर्देशानुसार श्रीराव ने अमरीका, कनाडा, इंग्लैण्ड तथा आयरलैण्ड आदि देशों की यात्रा की ओर वहां किये गये अपने अध्ययन तथा विचार विमर्श के निष्कर्ष स्वरूप उन्होंने अपना प्रतिवेदन संविधान–सभा को प्रस्तुत किया।

संविधान–सभा के कुल अठारह सत्र हुए। प्रथम छ: सत्रों में लक्ष्यमूलक संकल्प किये गये। 23 दिसम्बर, 1946 से 26 नवम्बर, 1949 तक हुए 11 सत्रों में संविधान के प्रारूप पर विचार करके उसे पारित किया गया। अंतिम सत्र 24 जनवरी, 1950 को हुआ, जिसमें संविधान पर हस्ताक्षर किये गये। संविधान–सभा ने अपना अधिकांश कार्य विभिन्न समितियों के माध्यम से किया जो अलग–अलग कार्यों के लिए अलग–अलग बनायी गई थी। उदाहरणार्थ प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति आदि। संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने का दायित्व प्रारूप समिति को सौंपा गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉ. भीमराव अम्बेडकर। 19, अगस्त, 1947 को गठित इस सात सदस्यीय समिति के अन्य सदस्य थे– एन. गोपालाचारी आयंगर, अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान। कुछ समय बाद बी. एल. मित्तर के स्थान पर एन. माधवराव को ले लिया गया और डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाने के आद उनका स्थान टी.टी. कृष्णमाचारी को दे दिया गया।

श्री बी.एन. राव के निर्देश में तैयार किये गये प्रारूप और उनके प्रतिवेदन पर संविधान–सभा में विचार किया गया। संविधान–सभा में अनेक सुझाव दिये गये। ये सब सुझाव तथा संविधान का प्रथम प्रारूप, प्रारूप समिति को सौंप दिये गये। डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में इस समिति ने प्रारूप पर गहराई से विचार–विमर्श किया और 26 अक्तूबर, 1948 को संशोधित प्रारूप संविधान–सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को प्रस्तुत कर दिया।

इस प्रारूप की प्रतिलिपियां सदस्यों में वितरित की गयीं ओर 4 नवम्बर, 1948 को संविधान–सभा ने इस संशोधित प्रारूप पर विचार प्रारम्भ किया। यह प्रथम वाचन था जो 9 नवम्बर तक चला। प्रारूप पर द्वितीय वाचन 15 नवम्बर, 1948 को शुरू हुआ। इस वाचन में प्रत्येक धारा पर विस्तार से विचार हुआ। जनता ने भी इस विचार विमर्श में भरपूर रूचि ली। प्रारूप पर यह दूसरा वाचन संविधान–सभा के दसवें अधिवेश में पूरा हुआ।

द्वितीय वाचन में प्रारूप को पारित करने के उपरांत उसे प्रारूप समिति को पुन: सौंपा गया, ताकि वह उसमें वर्तनी, तथा विराम चिन्हों आदि की दृष्टि से संशोधन करके अंतिम रूप दे सके। प्रारूप समिति ने तीन नवम्बर, 1949 तक अपना यह काम पूरा करके उसे संविधान–सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया। संविधान–सभा के 11वें अधिवेशन में संविधान के प्रारूप पर तीसरा वाचन 14 नवम्बर से 17 नवम्बर, 1949 तक हुआ तथा 26 नवम्बर, 1949 को इसे अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। यह भी तय किया गया कि इस संविधान को देश में 26 जनवरी, 1950 को लागू किया जाये। कारण था 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व। सन् 1930 को इसी दिन भारतवासियों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूर्ण स्वतन्त्रता की शपथ ली थी और तब से हम 26 जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस के मनाते आ रहे थे।

संविधान– सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी, 1950 को हुआ जब इस पर सदस्यों ने तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये। संविधान पर कुल 308 हस्ताक्षर किये गये। इसी अधिवेशन में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथत राष्ट्रपति चुना गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना, जिसमें कुल 395 अनुच्छेद ओर आठ अनुसूचियां है।

कृषक मित्र

वैज्ञानिक ढंग से उगाएं गेहूं की पिछेती फसल

डॉ. जी.डी. शर्मा
डॉ. मान चन्द राणा
डॉ. नवीन कुमार
कनिका बाघला

गेहूं भारतवर्ष में उगाये जाने वाली प्रमुख रबी फसल है। वैसे भी धान के बाद भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से गेहूं का दूसरा स्थान है। हमारे देश में यह लगभग 270 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती है तथा इसकी कुल पैदावार लगभग 880 लाख टन है। हिमाचल प्रदेश में भी गेहूं लगभग 369 हजार हेक्टेयर में हर वर्ष बोई जाती है तथा इस प्रदेश में इसकी कुल उपज 688 हजार टन है। हिमाचल प्रदेश में केवल 20 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है तथा 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है।

गेहूं की पिछेती फसल की अधिक पैदावार के लिए हिमाचल जैसे ठण्डे क्षेत्रों में लगभग 15 टन गली-सड़ी गोबर की देसी खाद गेहूं की दो पंक्तियों के मध्य प्रति हेक्टेयर भूमि की सतह पर बिछाएं जो बिछावन का काम करती है तथा मिट्टी का तापमान बढ़ाकर गेहूं की फसल को काफी लाभान्वित करती है।

इसके अतिरिक्त यदि गोबर खाद बिछावन के लिए उपलब्ध न हो तो लगभग 6.5 क्विंटल चील की सूखी पत्तियां प्रति बीघा के हिसाब से बिजाई के उपरांत खेत में बिछा दें। इस विधि से एक तो भूमि में नमी का संरक्षण होता है और दूसरे मृदा का तापमान बढ़ता है।

खरपतवार नियंत्रण

यदि किसान के पास पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हों तो लगभग 25-30 दिन बाद हल्की निराई-गुड़ाई करें। ऐसा करने से खरपतवार तो नियंत्रित होगी ही साथ ही साथ खेत में नमी का भी संरक्षण होता है।

यदि श्रमिकों की उपलब्धता पर्याप्त न हो तो रासायनिक ढंग से खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। यदि घासनुमा खरपतवार गेहूं में अधिक हो तो 1.250 किलोग्राम आईसीप्रोटॅरॉन 750-800 लीटर पानी में घोल कर प्रति हेक्टेयर की दर से 35-45 दिन बाद छिड़कायें। यदि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अधिक हों तो 2,4-डी (सोडियम) एक किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 35-45 दिन पर छिड़कायें। यदि घास या चौड़ी पत्तियों वाले दोनों खरपतवार हों तो एक किलोग्राम आईसोप्रोटूरान एवं 0.5 किलोग्राम 2,4-डी (सोडियम) 30-35 दिन बाद प्रति हेक्टेयर गेहूं के खेत में छिड़कायें।

यदि उब्बन घास अधिक हो तो छिड़काव घोल में टीपोल/सिल्बैट या कोई स्टिकर मिला लें ताकि खरपतवार नाशी घोल उब्बन की पत्तियों पर कुछ देर ठहर कर रसायन को अच्छी तरह अवशोषित कर सके।

इसके अतिरिक्त 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मैटाक्सुरॉन खरपतवारों के उगने से पहले प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह घासनुमा खरपतवारों के लिए क्लोडिनोफॉप 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गेहूं बीजाई के 20-25 दिन बाद छिड़कायें।

उपरोक्त विधियों के अलावा, गेहूं की बिजाई, 15 सेंटीमीटर दूरी पर पंक्तियों या 22 सेंटीमीटर पर एक से दूसरी दिशा में बिजाई की हो तो आधा-आधा बीज दोनों दिशाओं में डाला हो तो गुल्ली-डंडा तथा जंगली जई की संख्या कम हो जाती है, ऐसी स्थिति में आईसोप्रोटूरॉन की आधी मात्रा डालने से खरपतवारों की रोकथाम की जा सकती है। आईसोप्रोटूरॉन को बिजाई के 15-20 दिन बाद प्रयोग करें।

पौध संरक्षण

गेहूं को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में दीमक, टिड्डे, आर्मी वर्म, बग व गेहूं का तेला प्रमुख है। इनमें से दीमक प्रभावित असिंचित क्षेत्रों में 4 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करें तथा खेत में सफाई का ध्यान रखें। टिड्डे जो अंकुरित हो रहे गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, के लिए फोलीडॉल 2 प्रतिशत धूल 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से धूड़ें। मेढ़ो से घास काट दें। आर्मी बर्म पूरे खेत को तबाह कर दूसरे खेत में भी सारी फसल को नष्ट कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सुंडियों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें तथा 750 मिलीलीटर फैनिट्रोथियान 750 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसी प्रकार गेहूं का बग भी इसी रसायन से प्रबन्धन किया जा सकता है।

गेहूं के तेले के लिए 750 मिलीलीटर डाईमिथोरेट को 750 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें।

गेहूं में पीला रतुआ, भूरा रतुआ एवं काला रतुआ, खुली कंगियारी, हिल बंट, करनाल बंट तथा चूर्णसिता रोग का प्रकोप अधिक रहता है। रतुआ के लक्षण प्रकट होते ही डाईथेन एम-45, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़कायें। इसके अलावा 1 ग्राम बेल्टान 25 ई.सी., टिल्ट 25 ई.सी. या 2 ग्राम कन्टाफ 5 ई.सी. प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़कें एवं प्रतिरोधी किस्मों की ही बिजाई करें।

खुली कंगियारी व हिल बंट के लिए वीटावैक्स 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या 0.01 प्रतिशत टिल्ट 25 ई.सी. के घोल में 6 घंटे भीगोकर बिजाई पूर्व बीज का उपचार करें। करनाल बंट से प्रभावित फसल में एक ग्राम टिल्ट को प्रति लीटर पानी में घोलकर फ्लैग पत्ते की अवस्था से आरम्भ कर दो-तीन छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करें। चूर्णसिता रोग के लिए गेहूं की फसल पर 0.05 प्रतिशत कैराथेन या बैविस्टिन का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें।

उपज

पिछेती गेहूं में कृषक अगर उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखें तो 25-30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।

रोजगार का साधन मुर्गी पालन

चेहरे पर मुस्कान, ऊंचा कद तथा मेहनत के दम पर आगे बढ़ने की तमन्ना। ये खूबियां है पॉल्ट्री फॉर्म चलाने वाले गांव बरोटीवाला (रामपुरघाट) ग्राम पंचायत शिवपुर, विकास खण्ड पांवटा साहिब के 40 वर्षीय किसान सुशील कुमार सैणी की। इस मुर्गी पालन से जहां उन्हें प्रतिमाह 15-18 हजार रुपये की आमदनी हो रही है तो वहीं स्वयं का काम करते हुए आत्म विश्वास व स्वावलंबन का एहसास भी हो रहा है। यही नहीं साथ में दो ओर लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं।

मुर्गी पालन से जहां सुशील कुमार को घर बैठे प्रतिमाह अच्छी आमदनी हो रही है, वहीं वह अपनी पारम्परिक खेती बाड़ी के साथ-साथ करियाना की दुकान भी चला रहे हैं। यही नहीं घर में ही रह कर अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहे हैं।

दसवीं तक की शिक्षा प्राप्त सुशील कुमार इस व्यवसाय को अपनाने से पहले एक निजी कंपनी में इलैक्ट्रिकल (फोरमैन) का काम करते थे। परन्तु इस नौजवान ने नौकरी को छोडकर पॉल्ट्रीफॉर्म खोलकर स्वयं का काम शुरू करने की ठानी। इसके लिए उन्होंने स्थानीय बैंक से 2.50 लाख रुपये का ऋण लिया तथा एक छोटा शैड बनाकर 100 मुर्गीयों के बच्चे पाल लिये। उसके बाद 400 और अब 10 शैड बनाकर 1000 से अधिक बच्चे पाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस व्यवसाय की बारीकियों को समझने के लिए चण्डीगढ़ से कुक्कट पालन में एक सप्ताह का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। आज उनके पास स्थानीय क्षेत्र के अलावा नाहन, देहरादून, यमुनानगर तक के ऑर्डर मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पॉल्ट्री फॉर्म में बिजली का व्यावसायिक कनैक्शन लगा हुआ है जबकि उनका यह पेशा भी कृषि व्यवसाय से जुड़ा है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि कुक्कट उत्पादन के लिए सरकार की तरफ से जो सहायता उपलब्ध करवाई जाती है उसका लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से मिलना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इस व्यवसाय की ओर आकर्षित हो सके।

ऐसे में मुर्गी पालन से जहां सुशील कुमार को घर बैठे प्रतिमाह अच्छी आमदनी हो रही है, वहीं वह अपनी पारम्परिक खेती बाड़ी के साथ-साथ करियाना की दुकान भी चला रहे हैं। यही नहीं घर में ही रह कर अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं का आह्वान किया कि वे भी घर बैठे स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बन सकते हैं।

■ राजेश कुमार जसवाल

रबी मौसम में फसलों की देखभाल

फरवरी माह के प्रथम पखवाड़े में कृषि व पशु पालन की देखरेख के लिए किये जाने वाले कार्य

प्रसार शिक्षा निदेशालय, चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने फरवरी, 2012 माह के प्रथम पखवाड़े में किये जाने वाले मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धित कृषि एवं पशुपालन कार्यों के बारे में निम्नलिखित सलाह दी है, जो किसानों के लिए लाभप्रद साबित होगी।

गेहूं

जहां गेहूं की बुआई दिसम्बर के अंत में की गई हो और खरपतवारों में 2-3 पत्तियां आ गई हों, तो उनके नियंत्रण के लिए आईसोप्रोटूरॉन 75 डब्ल्यू.पी. नामक रसायन की 1.25 किलोग्राम मात्रा 750 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टेयर छिड़काव करें। जहां पर नुकीली पत्ती वाले खरपतवारों के साथ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की समस्या हो वहां आईसोप्रोटूरान 75 डब्ल्यू.पी. 1 किलोग्राम व +2,4 डी, सोडियम 80 डब्ल्यू.पी. 0.50 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर का 750 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव के लिए फलैटफैन नोजल का इस्तेमाल करें। छिड़काव से दो-तीन दिन पहले एक हल्की सिंचाई कर सकते हैं। छिड़काव आकाश साफ रहने पर करें। गेहूं में छिड़काव पम्प से ही करें। रसायन को रेत में मिश्रित करके छट्टा न दें। छिड़काव के बाद कम से कम एक सप्ताह सिंचाई न करें और जब भी करें, सिंचाई हल्की हो।

गोभी सरसों

गोभी सरसों में फूल आने से पहले यूरिया 125 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से डालें। पौधों की संख्या अगर खेत में अधिक हो तो यूरिया डालने से पहले फालतू पौधों को निकालें।

सब्जी उत्पादन

मूली की सुधरी किस्म पूसा हिमानी की बीजाई समतल खेतों में या मेढ़ें बनाकर 30x5 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। फूलगोभी, बन्दगोभी तथा ब्रॉकली में फूल बनने का समय नजदीक आ रहा है। इन सब्जियों में नत्रजन 5 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा डालें। प्याज की फसल में निराई-गुड़ाई करें तथा नत्रजन 5 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा डालें। आलू में मिट्टी चढ़ाने के समय यूरिया 10 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से डालें।

फसल संरक्षण

गोभी सरसों इत्यादि तिलहनी फसलों में तेले का अत्याधिक प्रकोप होने पर डाईमिथोएट (30 ई. सी.) या साइपरमैथरिन 10 ई.सी. नामक कीटनाशी (1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से) का छिड़काव करें। गोभी वर्गीय सब्जियों में तेले व पत्ते खाने वाली सुंडी के प्रकोप के लिए मैलाथियान 50 ई.सी. (1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से) का छिड़काव करें। चने में फली-छेदक सुंडी के आक्रमण के प्रति सावधान रहें तथा इसका अधिक प्रकोप होने की स्थिति में तुरंत एण्डोसल्फान 35 ई.सी. (2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें।

पशुधन

प्रदेश के निचले इलाकों में बरसीम व जई तैयार हो जाती है, अतः दाना-मिश्रण में खली की मात्रा 5 प्रतिशत तक घटाई जा सकती है। जिन इलाकों में घटिया सूखा चारा ही खिलाने के लिए उपलब्ध हों, वहां प्रत्येक पशु को 40 ग्राम प्रतिदिन की दर से खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें। जब भी पशु गर्मी में आये तो इनका रिकार्ड रखें व उपयुक्त समय पर कृत्रिम गर्भाधान करवायें। थनों को फटने से बचाने के लिए उन पर दूध की जगह मक्खन या देसी घी लगायें। अपने पशुओं को खुरमुंही का टीका लगवा दें। छोटे बच्छड़ों को परजीवी रहित करना बहुत आवश्यक है और ठण्ड से बचाना भी जरूरी है ताकि निमोनिया से बचे रहें। दूध देने वाले पशुओं में ब्याने के 2 महीने पहले दूध लेना बंद कर लें और उनको 2 किलोग्राम प्रतिदिन की दर से दाना मिश्रण अवश्य खिलायें। छोटे बछड़ों को 5-6 महीने की आयु में ब्रूसीलोसिस का टीका अवश्य लगवा लें। गर्भाधान टीका लगवाने के 2-3 महीने के अंदर गायों तथा भैंसों की गर्भाधान सम्बन्धी जांच करवा लें।

मुर्गी पालन के लिए चूजों की अच्छी हैचरी से बुकिंग करवा लें। फिर एक दिन की आयु के टीकाकरण किये हुए चूजे खरीदें व उचित तापक्रम पर मुर्गियों से अलग पालें। चूजों को लाने से पहले उनके पालने की जगह को अच्छी तरह कीटाणु रहित कर साफ कर लें। पुरानी और अच्छा उत्पादन न देने वाली मुर्गियों को बेच दें।

मछलियों के तालाबों में गोबर की गली-सड़ी खाद 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से डालें व खरगोशों में यदि ठण्ड का प्रकोप हो तो प्रजनन न करवायें। किसान भाई एवं पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र की भौगोलिक तथा पर्यावरण परिस्थितियों के अनुसार अधिक एवं अतिविशिष्ट जानकारी हेतु नजदीक के कृषि विज्ञान केन्द्र से सम्पर्क बनाए रखें।

निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर।

राग भैरवी की ‘खुराक’ से बीजों का अंकुरण

क्या स्वर लहरियों की ‘खुराक’ से पेड़-पौधों की बढ़त को बेहतर बनाया जा सकता है। यह वह सवाल है, जो कई दशकों से वैज्ञानिकों के मन को मथता रहा है और इसके आधार पर मध्यप्रदेश का वन विभाग इन दिनों एक सुरीले प्रयोग को सींचने में जुटा है।

इस प्रयोग के तहत कुछ वृक्ष प्रजातियों को सूर्योदय से एक घंटा पहले से सूर्यास्त तक महशूर सितार वादक रविशंकर की राग भैरवी में निबद्ध रचना सुनायी जा रही है।

वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि सितार की स्वर लहरियों से आवंला और सीताफल : शरीफा: सरीखी फल प्रजातियों के बीजों के अंकुर फूटने की दर में नौ प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है।

विभाग के इंदौर स्थित अनुसंधान और विस्तार केन्द्र के मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) पंकज श्रीवास्तव का कहना है कि ‘इस प्रयोग के जरिये हम पता लगाना चाहते हैं कि पौधों की बढ़त पर संगीत का क्या असर होता है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या संगीत के प्रति पौधों की संवेदनशीलता के वाणिज्यिक उपयोग की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं।’

(भाषा)

कृपया
सेंटरस्प्रेड
देखें

कृपया
सेंटरस्प्रेड
देखें

सबसे ऊपर हिमाचल
पूर्ण राज्यत्व दिवस
पर बधाई
पूर्ण राज्यत्व को फलीभूत करने के हमारे प्रयास :
प्रदेश के सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ना।
हिमाचल प्रदेश को शिक्षा का हब एवं ज्ञान राज्य बनाना।
लोगों के घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना।
प्रदेश में पर्यावरण मित्र, आय-सृजन एवं रोज़गारोन्मुख उद्योगों को स्थापित करना।
हिमाचल प्रदेश को पर्यटकों के लिए पसंदीदा गन्तव्य विकसित करना।
प्रदेश में उपलब्ध जल विद्युत क्षमता का तीव्रता से दोहन करना।
"आओ पूर्ण राज्यत्व के इस शुभ दिन पर एक समृद्ध, साधन-सम्पन्न एवं स्वावलंबी हिमाचल प्रदेश के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लें।"
प्रो. प्रेम कुमार धूमल
माननीय मुख्यमंत्री
सड़क
शिक्षा
स्वास्थ्य
रोज़गार
पर्यटन
विद्युत

हिमाचल प्रदेश

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभाव

किसी भी दवा को इलाज के विपरीत इस्तेमाल करने को नशीले पदार्थ का सेवन (Drug Abuse) कहते हैं। कुछ समय बाद यह आदत का रूप ले लेती है जिससे आत्महत्या, दुर्घटना, शारीरिक कमजोरी, पारिवारिक परेशानियां, मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान होते हैं। भारत में 10-19 वर्ष के आयु के नौजवानों की संख्या हमारी आबादी की 22.8 प्रतिशत है। यह आंकड़ा करीब 23 करोड़ बनता है (2001 जनगणना)। इनमें लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर है। यह आबादी अब बढ़कर देश की आबादी की एक तिहाई हो गई है।

दवाओं को नशे के लिए इस्तेमाल करना विश्व भर में गंभीर समस्या है। खासतौर पर युवा पीढ़ी नशे के चंगुल में फंसती जा रही है और जब तक युवा वर्ग को इसके नुकसान का एहसास होता है तब तक यह लत का रूप ले लेती है जिससे निकलना कई बार तो असंभव लगने लगता है। इस विकराल समस्या से हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं है।

नौजवानों में नशीले पदार्थ के सेवन ने अब भारत में एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। इसके कई कारण हैं। हमारे सांस्कृतिक आचरण में बदलाव, आर्थिक तनाव, परिवारों के टूटते हुए बंधन कुछ व्यक्तिगत कारण हैं। सामाजिक कारणों में औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं देशान्तर गमन मुख्य हैं जिनसे हमारे पारम्परिक सम्बन्धों में ढील आ गई है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने भारत में 10 लाख केवल हेरोइन की लत के शिकार पंजीकृत बताए हैं। परन्तु गैर सरकारी संगठनों के मुताबिक यह आंकड़ा 50 लाख है। मादक पदार्थों का सेवन बहुत व्यापक हो गया है। जहां पहले यह केवल संभ्रांत वर्ग के कुछ बिगड़े नौजवानों में पाया जाता था, वहां अब यह समाज के सभी वर्गों में फैल चुका है। आजकल अनेक नशीले पदार्थों के मिश्रण प्रयोग में आने से यह समस्या और गंभीर हो गई है। क्योंकि इससे नशा अधिक होता है और नशे को छुड़ाना और कठिन।

भारत में धूम्रपान और शराब के बाद सबसे अधिक प्रयोग भांग, हेरोइन और नशीली दवाइयों का है। दवाइयों में सबसे अधिक प्रयोग इंजेक्शन पेथीडीन, फोर्टविन और खांसी के शरबत जैसे कोडीन, बेनाडरिल का होता है। दु:ख की बात है कि इन सबका सेवन हमारे नौजवान कर रहे हैं, जिससे समाज को सबसे अधिक हानि पहुंच रही है। यह हानि आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक स्तर पर हो रही है।

मादक पदार्थों के अल्पकालीन प्रभाव:-

सुस्ती, अल्पावधि के लिए यादाश्त में कमी, एकाग्रता में कमी, आंखों में लाली, सुखा मुंह,मानसिक उन्माद, दृष्टि भ्रम, प्रेरणा की कमी।

मादक पदार्थों के दीर्घकालीन प्रभाव:-

मनोवैज्ञानिक निर्भरता, यादाश्त में कमी, कैंसर के खतरे मे वृद्धि, पुरूषों में शुक्राणुओं की कमी/असामान्यता, पुरुषों में स्तनों में वृद्धि, महिलाओं में माहवारी में अनियमितता, भ्रूण का असामान्य विकास।

धूम्रपान

धूम्रपान के धूएं में निम्नलिखित पदार्थ पाये जाते हैं:-

* एसीटोन-नाखूनों से पॉलिश हटाने में उपयोग होने वाला पदार्थ
* आर्सेनिक-कीटनाशकों में पाए जाने वाला वाला ज़हर
* बैंजीन-पेट्रोल व रंगों में प्रयोग होने वाला पदार्थ
* ब्यूटेन-लाईटर, गैस सिलेंडर में पाया जाने वाला पदार्थ
* केडमियम-बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला रासायनिक पदार्थ
* कार्बन मॉनोक्साइड-वाहनों से निकलने वाले धुएं में पाया जाता है
* फॉर्मेलडिहाइड-फोटोग्राफी तथा लकड़ी के काम में प्रयोग होता है
* हाईड्रोजन सायनाइड- मृत्युकारक रासायनिक पदार्थ
* मिथेनॉल-रॉकेट के ईंधन में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ
* मिथेन-फैंके गए कूड़े तथा दलदल आदि में बनने वाली गैस
* पोलोनियम-210-नाभिकीय कारखानों मे पाया जाता है
* रेडॉन-एक्स-रे तथा नाभिकीय कारखानों मे प्रयोग होने वाला रासायन
* टॉल्युइन-उद्योगों में घोलक के रूप में प्रयोग होने वाला रासायन

धूम्रपान के प्रभाव

अल्प अवधि के प्रभाव

बालों से बदबू, सिर दर्द व गले में दर्द, दांतों में पीलापन, मसूढ़ों में खराबी व मुंह से बदबू, पीली उंगलियां, अत्यधिक खांसी, आंखों में जलन तथा पानी भर जाना, हाथों में कंपन तथा तेजहीन चेहरा।

लंबी अवधि के प्रभाव

त्वचा में झुर्रियां, दिल का दौरा, फेफड़े, मुंह, गले, मूत्राशय व पेट का कैंसर तथा खून के प्रवाह में कमी तथा पैरों में गैंगरीन जैसी गंभीर बीमारी आदि।

2011 में नॉर्वे में किये गए अध्ययन से यह पता चला है कि यदि माता-पिता एवं अध्यापकगण बच्चों के सामने धूम्रपान करते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, बेशक स्कूलों में धूम्रपान वर्जित हो और उसके उल्लंघन पर कार्यवाही की जाती हो।

शराब

इसका प्रभाव मनुष्य के पूरे शरीर पर तो होता ही है परन्तु उसके परिवार, दोस्त, समाज एवं काम-काज पर भी इसका प्रभाव होता है। शराब पीने से निम्नलिखित नुकसान होते हैं:-

* स्वास्थ्य संबंधी खतरे (जिगर, दिल, पेट की बिमारियां)
* काम करने की लिए तंदुरुस्त ना होना
* दुर्घटनाएं (अपनी, परिवार एवं दोस्त)
* परिवार में हिंसक व्यवहार
* बच्चों में भी शराब पीने की लत लगना
* चिड़चिड़ापन/अधिक उन्माद
* शारीरिक समन्वय की कमी
* शारीरिक संतुलन/ गति पर प्रभाव
* अनुचित व्यवहार एवं धीमी सोच
* अल्प अवधि में यादाश्त में कमी

नशे के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाएं

अवसाद औषधियां-डाईजिपाम, एलप्रैक्स।

1950 के दशक से नींद की गोलियां, 1960 के बाद बारबिटुरेट, 1970 के पश्चात बैंजोडाइजिपाइन नशे के पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाए जाने लगे।

अवसाद औषधियों के प्रभाव:- सुस्ती व नींद, सोचने-समझने की शक्ति का ह्रास, समन्वय की कमी, अस्थिर मनोस्थिति, दिल में तनाव। अवसाद औषधियों की अधिक मात्रा से मानसिक भ्रम, शरीर में ऐंठन, उल्टियां और मनुष्य को अपनी सब समस्यायें समाप्त होती नजर आती हैं।

इन पदार्थों के अत्यधिक सेवन से अंगों को नुकसान, फोड़े, जिगर के रोग, दबी हुई सांसें व शरीर के वजन में कमी हो जाती है।

अत्यधिक प्रयोग के पश्चात नशा छोड़ने पर शरीर में ऐंठन तथा कंपन, जी मितलाना, उल्टी, पसीना, नाक बहना, आंखों में पानी भरना व स्पष्ट सपने दिखाई देना जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। अफीम से बने मादक पदार्थों की अधिक मात्रा से शरीर को गंभीर चोट, कोमा या मौत तक हो सकती है। मादक पदार्थों के प्रयोग से एडस होने का खतरा बढ़ जाता है। मादक पदार्थों का प्रयोग करने वाले लोगों को आगे चलकर अन्य नशीले पदार्थों में रूचि बढ़ती है या मृत्यु तक हो सकती है।

> **दवाओं को नशे के लिए इस्तेमाल करना विश्व भर में गंभीर समस्या है। खासतौर पर युवा पीढ़ी नशे के चंगुल में फंसती जा रही है और जब तक युवा वर्ग को इसके नुकसान का एहसास होता है तब तक यह लत का रूप ले लेती है जिससे निकलना कई बार तो असंभव लगने लगता है। इस विकराल समस्या से हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं है।**

नींद दूर करने वाली दवाइयां - एमफिटामिन

खांसी के सिरप-कोरेक्स, बेनेड्रील और कोडीन।

नशे के लिए प्रयोग किये जाने वाले अन्य पदार्थ

* मारीजुआना
* हेरोईन / अफीम
* कोकीन
* सूंघने वाले पदार्थ

मारीजुआना के तत्कालिक प्रभाव:-मन की खुशी, तनाव से निजात, संगीत की सराहना, आडंबर युक्त व्यवहार, संवेदनाओं में कमी।

लंबी अवधि के लिए प्रभाव:- दिमाग, फेफड़े, दिल, यौन-क्रिया, प्रतिरोधक क्षमता, व्यक्तित्व पर विपरीत प्रभाव। आंखों में सोजिश व लाली, समन्वय /ध्यान केंद्रित करने में कमी, चिंता /मानसिक उन्माद/समाज से दूरी, सिर और गर्दन के कैंसर के खतरे में बढ़ोतरी, कार्यक्षमता में कमी, दूसरे नशीले पदार्थ लेने की प्रवृति, विचारों व यादाश्त में कमी आदि इसके अन्य प्रभाव हैं।

अफीम से बने मादक पदार्थ

मॉरफिन एवं हेरोइन अफीम से बनने वाले मादक पदार्थ हैं। हेरोइन मॉरफिन से दोगुना ज्यादा हानिकारक है और यह सिगरेट में, इन्जैक्शन में अथवा सूंघकर ली जा सकती है। एक खुराक के बाद नींद भरी आंखें व टकटकी लगी पुतलियां, गर्म त्वचा के साथ अति उत्साह, अस्पष्ट उच्चारण हो जाता है और वे इन सबका मिश्रण प्रयोग करते हैं जिससे हानि कई गुणा बढ़ जाती है।

कोकीन

इसका अति शुद्ध पदार्थ क्रेक कोकीन है जो केवल एक प्रयोग में ही लत लगा सकता है। कोकीन के प्रयोग के लिए नशेबाज कई बार चोरी-चकारी जैसे जुर्म कर बैठते हैं। इसकी अधिक मात्रा से कई बार मृत्यु भी हो जाती है। इन नशीली दवाओं के प्रभाव से दिल की धड़कन में वृद्धि, उच्च रक्तचाप, अतिऊर्जा, गतिशीलता, अनिद्रा तथा अतिउत्साह हो जाता है जिसके बाद व्यक्ति को उदासी, नसों का फटना, भूख न लगना तथा नशे की लत लग जाती है। यह बहुत शक्तिशाली उत्तेजक हैं जिससे मतिभ्रम हो जाता है। अल्प अवधि के लिए चक्कर, नींद न आना, धमनियों का फटना, उदासी, दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। लम्बी अवधि के लिए व्यक्ति अपने दिमाग व इच्छाशक्ति पर नियन्त्रण नहीं रख पाता तथा उसे दृष्टि भ्रम हो जाता है।

सूघने वाले पदार्थ-

ग्लू, पैट्रोल, एसीटोन, बूट पॉलिश आदि पदार्थों का प्रयोग व्यापक होता जा रहा है। यह सब आसानी से प्राप्त होने वाले तथा सस्ते पदार्थ हैं। दु:ख की बात यह है कि इन सब पदार्थों का सेवन छोटे बच्चे भी कर रहे हैं।

नशे के व्यक्तिगत कारण

* माता-पिता का अप्रभावी नियंत्रण
* आत्म-सम्मान में कमी
* तनाव में अप्रभावी रूप से व्यवहार करना
* हिंसा/आक्रामकता
* विद्रोही व्यवहार
* सामाजिक मूल्यों तथा धर्म का त्याग
* शिष्टजनों के प्रभाव में रहना
* वक्त से पहले यौन क्रिया
* सहकर्मियों से दूरी
* पढ़ाई-लिखाई में पिछड़ापन
* असामाजिक व्यवहार
* सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी की कमी
* यह सोचना कि शराब तथा नशीली दवाएं अच्छी चीज है
* सहकर्मियों द्वारा नकारात्मक मानकों को मजबूती देना

पारिवारिक कारण

* परिवार के सदस्य/सदस्यों को शराब या नशीली दवाएं लेने की आदत
* परिवार के सदस्यों में एकजुटता तथा सोहार्द की कमी
* माँ-बाप द्वारा बच्चों की गतिविधियों पर नजर न रखना
* घर में नशीली दवाओं से संबंधित स्पष्ट नियम न होना
* पारिवारिक कलह या लड़ाई
* बेरोजगारी
* माँ-बाप की अच्छी आदर्श भूमिका न होना

सामुदायिक कारण

* गैर-जिम्मेदार विक्रेता
* शराब व नशीली दवाओं की सुगम उपलब्धता
* नशे से संबंधित कानूनों का अस्पष्ट व विसंगति भरा होना
* असंगठित आस-पड़ोस
* सामाजिक एकजुटता की कमी

विद्यालय से संबंधित कारण

* विद्यालय का कमजोर प्रशासन
* स्कूल में शैक्षिक व सामाजिक संबंधी उम्मीदों के संदर्भ में बच्चों के लिए अस्पष्ट उद्देश्य
* स्कूल से किसी तरह का जुड़ाव न होना
* स्कूल के शैक्षिक स्तर का गिरा होना

नशे की रोकथाम तथा बचाव

नशे की रोकथाम के लिए दिए गए उपायों को ध्यान में रखना होगा और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए:-

* अपने पर नियन्त्रण रखना
* निजी वचनबद्धताओं को सुदृढ़ करना
* नशे की दवाओं तथा उनके गुणों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी
* नशे के प्रति नकारात्मक रवैया
* परिवार के सदस्यों में एकजुटता तथा सोहार्द को बढ़ावा देना चाहिए
* मजबूत पारिवारिक संबंध बनाएं
* आत्म विश्वास तथा सकारात्मक सोच
* खाली समय रचनात्मक गतिविधियों में व्यतीत करना
* सहकर्मियों द्वारा नशे की दवाओं तथा शराब का बहिष्कार
* सामाजिक व पारिवारिक गतिविधियों में सहभागिता
* मां-बाप द्वारा लगातार व सही पालन- पोषण
* मां-बाप द्वारा बच्चों की शिक्षा को अहमियत देना तथा प्रोत्साहित करना
* बच्चों के काम की तारीफ करना तथा भावनाओं का आदान- प्रदान करना
* मां-बाप नशे का प्रयोग न कर उदाहरण बने तथा बच्चों को नशे की बुराइयों के बारे जागरूक करें
* बच्चों के सहयोगियों तथा उनकी गतिविधियों की सही जानकारी रखें
* स्पष्ट पारिवारिक मूल्यों तथा उम्मीदों का होना
* स्कूल से बंधन तथा अध्यापकों से निकटता
* शैक्षिक समर्थन
* नशे के उपयोग के खिलाफ रवैये को बढ़ावा देना चाहिए
* स्कूलों तथा समाज के हस्तक्षेप से ऐसे नियम बनाने की जरुरत है जिससे नशे के लिए व्यक्ति की पहुँच को रोका जा सके
* स्कूल में सकारात्मक सामाजिक, शैक्षिक तथा व्यवसायिक वातावरण
* छात्रों की रूचि के अनुसार गतिविधियों में शामिल करें तथा खुद भी शामिल हों
* छात्रों को करिअर चयन/प्रशिक्षण में मार्गदर्शन करें तथा व्यावहारिक बनने में उनकी मदद करें
* सामाजिक समस्याओं का निवारण
* समाज में नशे की दवाओं तथा शराब से संबंधित स्पष्ट एवं कठोर कानून
* युवा केंद्रित व समर्थन कार्यक्रम चलाने चाहिए

नशा निवारण सम्बन्धी कानून

हमारा देश नशीले पदार्थों की तस्करी के विरूद्ध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज उठा रहा है। कानूनी एवं न्यायिक प्रणालियों में बदलाव लाया गया है। नशा सम्बन्धी कानून में मौत की सजा की स्थापना एक एहम कदम है। मादक औषधि एवं पदार्थ अधिनियम 1987 की स्थापना होने से कई नियम आगे आये हैं। इनके तहत अपराधियों को 10 से 20 साल तक की सजा और 1-2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण बातें-

* ज्यादातर नशों की शुरूआत किशोरावस्था में होती है। अत: किशोरों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी चाहिए।
* ज्यादातर नशों की शुरूआत बीड़ी, सिगरेट या अन्य तम्बाकू पदार्थों से होती है। अत: इन पदार्थों को बच्चों से दूर रखें और सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू पदार्थ निषेध अधिनियम 2003 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करने वाले व शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में इन पदार्थों को बेचने वालों की शिकायत प्राधिकृत अधिकारी से करनी चाहिए।
* नशा निवारण कानून के अंतर्गत नशीले पदार्थों के गलत प्रयोग एवं बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। उल्लंघन करने वालों की सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए।

जारीकर्त्ता-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश

प्रस्तुति: देवेन्द्र गर्ग

पहाड़ी भाषा कनै साहित्य लोक मंच

गिरिराज साप्ताहिक शिमला, 25–31 जनवरी, 2012

लेख

टैमे दी कीमत

✍ वंदना राणा

टैम कितनी छोड़ बीती जांदा। दिक्खदे दिक्खदे 2011 साल वी बीती गया, नौये साले दे सुआगते च असां खड़ोतेयो। जाने आले दा दुख कणैं औणे आले साले दी खुसी असां सारेयां दे मणें च ऐ। नौये सुपणे असां सबनां दी अक्खां च चमका दे हन्... पिछले साले दियां सारियां बुरिया गल्ली पुल्ली के अज असां नौईया गल्लां करा दे हन्। बदलाव कुदरता दा नियम ऐ। बदलाव हौणा चाईंदा असां दी सोच बिच। अगर खरा सोचगे तां खरा गलांगे, खरे कम कमांगे। अज जुआण मुण्डु कुंडियां फैशने च पई करी अपणे संस्कारां जो भुलदे जांदे। कई स्कूली न्याणे, कोलजे दे मुण्डु कुडियां नशा करा दे। बड्डे दा लिहाज नी रैया, सामने–सामने बीड़ियां सिग्रेटां सुलगांदे जरा कर कुणिये भले माणुये रोकी–टोक्की दित्ता तां उसजो, मारना लगदे, 'लगदा अजकल खराईया, भलाईया दा जमाणा नी रैया' देया कई स्याणे, खरे माहणु असां गलांदे सुणे।

टैम हत्थां ते उजां निकलदा, जिआं मुट्ठियां च रखियो रेत उंदी। कालू मुट्ठिया ते निकली जांदी, पता नी चलदा। जालू हत्था खोलदे कुछ कण रेता दे हथेलियां च चिपकचयो रैई जांदी। ठीक इजां टैम बीतादा। टैमे दी कीमत अज समझने दी लौड ऐ। जेड़े माहणू नशेयां च डुब्बी करी अपणी जिंदड़ी, अपना भविष्य खराब करा दे उना जो सोचणा चाईंदा जालू उणा दा नशा टुटगा तालु सैं कुस्स किनारे उंगे, क्या उना बल बचेया उंगा? न पैसा धेल्ला रैणा न जिंदड़ी इस बस्ते अज टैमे जो नशेयां च मत गुआ। न टैम औंदा दुवारा न जिंदड़ी मिलदी दुवारा। अज सवना जो समझने कणें सचेतने दी लौड़ ऐ।

समय बड़ा बलवान ऐ। इसदी ताकत जो पच्छाणना चाईंदा। बोलदे टैमे पर कितया कम्म बड़ा फायदा दिंदा। अज असां अपने मुल्के जो अग्गे वधाने दी गल्ल करदे। बोलदे, 'गल्लां ने कुसी दा पेट नी भरौंदा।' पेट भरने वास्ते खेतरां च कम्म कमाणा पौंदा। दिन रात इक्क करना पौंदी तां कुत्थु जाई के फसल तैयार उंदी। इक्क इक्क ईंट लगाई के इक मजदूर दीवार बनांदा, इक इक बूटा लगाई के इक्क बगीचा बनदा। इक्क इक्क मोती धागे च पिरोई करी इक्क माला बनदी। बेशक ऐ गल्लां निक्कियां निक्कियां हन्, पर इनां च जिंदड़ी दा सार ऐ। इक्क इक्क पैसा जोड़ी करी माहणु अपने टब्बरे दी जरूरतां पूरिया करदा। इजां ई टैमे दे इक्क इक्क पलै जो खरै दांये जिआ, हर इक्क पल दा ठीक इस्तेमाल करा तांई जिंदड़ी खुशहाल बनदी ऐ। अज असां दिक्खदे वाहरले प्रदेशां ते आएओ नौजुआण मुण्डु अपणे हमाचले च मजदूरी करा दे, कोई वी कम्म ऐ, उसजो करा दे, सड़कां च लगयो मजदूर सारे वाहरले प्रदेशां ते आयो हन्...। भ्याग संज कम्मे पर लगयो इत्थु पैसा कमांदे कणै फिरी अपने प्रदेशा जो चली जांदे। अपणे प्रदेशे दे मुण्डु नशेयां दे आदी होई के गल्लत रस्ते पर चलयो अगर ऐ जुआण मुण्डु भी इत्थु कम्म करण तां घरै बैठी के बथेरा पैसा कमाई सकते। मेहनत मजूरी करी के अपणा कणै अपणे प्रदेसे जो खुशहाल बनाई सकदे। बेले बैठी करी अपणे माता पिता जो तग करने आले मुंडु कुडियां जो सोचणा चाईंदा कि बिना कम कारे ते जिंदड़ी नी चलदी। सरकारां योजना चलाईयां तां उना दा फायदा वी चुकणा चाईंदा।

पैले असां दे मुल्के जो सोने दी चिड़िया गलांदे थे। ऐ तांई गलांदे थे कि सारे माहणु मिला जुली करी हर काम करदे थे। खेतरां च कम्म करना, फुल्ल बूटे लगाणे चौंई पासे खुशहाली थी, हरियाली थी। पैले टैमे दी कीमत माहणू समझदे थे, दूरे दी सोचदे थे। टब्बरां च प्यार था, बड्डेया छोटेयां दा लिहाज सारे जणे करदे थे। दुद दंई घरै दा उंदा था। माल पशुयां दी खूव सेवा उंदी थी। खूं वांई, खुआजे, पिप्पल, अम्ब, कितणे दरख्त बूटे पूजदे थे, पर नौईया इसा दौड़ा बिच यै सारि गल्लां असां भुली चलयो। संस्कार भुल्ली गयो तांई तां बड्डे छोटेयां दा कोई लिहाज नी रैया। कोई गलाणे बोलने दी लियाकत नी रई। टब्बरे च रैणे दा तरीका तजुर्वा नी रैया।

अज असां अगर टैमे रैंदे अपणे संस्कारां, रुआजां जो याद करण तां बहुत कुछ बचाई सकदे। अपणी भाषा, बोली, खाणा–पाण, अपणे रीति रुआज अजे ते बचाणा उंगे। अपने स्याणेयां दीयां गल्लां जो याद रखगे कणै उनां दे दस्से रस्ते पर चलगे तां असा औणे आली पीड़ियां जो अपणी संस्कृति कणै पच्छाण कराई सकदे। सवनां जो टैम रैंदे सचेतना उंगा। ऐं टैम वी अगर असां दे हत्थां ते निकली गया तां कुछ वी नी बचणा। किनां टैम कदी मुड्डी के नी औंदा। ऐ पल चली गया तां दुवारा नी औणा। औणे आले नये साले विच असां जो इक्क इक्क पल जो ठीक ढंगे ने विताणा उंगा। अपणे मुल्के जो तरक्की दे रस्ते पर ले जाने वास्ते चलना उंगा, अग्गे वदणा उंगा, नशेयां ते दूर अपणा मुल्क कणै अपनी जिंदड़ी जो रखणा उंगा। इक नई सोच, इक नया जीवन, इक नोया सुपणा हो मुबारक।

गीत

गोरिये चल चम्बे जो...

✍ अशोक 'दर्द'

हो गोरिये चल चंबे जो, दिक्खणा जे पहाड़ां रा नजारा।
घणे-घणे बण कन्ने हरी-भरी घाटियां, उच्ची-उच्ची हियूंये रीयां धारा॥

उच्चेयां पहाड़ां पुर बसी री डलहौजी,
भोले़-भोले़ माणु इत्थे बड़े मनमौजी,
बड़ी सौह्णी झील खज्जियारा...। हो गोरिये....

भट्टिया रे हार जियां पद्धरे मैदाना,
सिहुंता-चुवाड़ी-टुंडी चम्बे रीयां शानां,
बिणतरू नाग प्यारा...॥ हो गोरिये...

राजे रे मैहल छैल चंबे रा चौगाना,
रुण-झुण लांदी मिट्ठी राविया री ताना,
हरे-भरे बण झमुहारा...॥ हो गोरिये...।

बैरागढ़-देवी कोठी-मंगली-मंझौरा,
अंबरे जो छून्दी उच्ची धार मैहलवारा,
छैल भंजराडू़ रा बाजारा...॥ हो गोरिये...

सुंडले-सलूणी कन्ने भांदला-किहारा,
पद्धरियां धारां-धारां फुल्लां री बहारां,
कुदरत-रूप प्यारा...॥ हो गोरिये...

गरोला-भरमैर कन्ने होल़ी रीयां धारां,
जोता परे छैल मुईये पांगी ते किलाड़ा,
डल मणिमहेशा रा न्यारा...॥ हो गोरिये...

कबता

भ्याग

✍ पवन चौहान

नह्यारे जो छाडुंआं
भ्यागा रा हाथ पकडुआं
कुकड़ कुड़कुड़ाया
वात्सल्य धारा कने भरी के
माओए आपणे मठे रे सीरा पर हाथ फरेयाया
माथे ले पप्पी ल्इ
आधी पक्की री भ्यागा आंदर
चादर ढखुआं मठी
चली पइरी सैरा जो
आपणे बाबा साउगी
चिऊं–चिऊं चिड्डुआ रे मीठे हल्ले
न्उंइ भ्यागा रा एहसास कराया
कोयला री बांकी आवाजे
सभी जो मंगल गीत सन्ओआया
हरी द्रुभा मंझ ल्हुखी रे
पाले रे टेपेया साउगी
आधी झे खिलीरी कलीए
प्रकृतिया जो होर सजाया
सारे चली पए आपणे कामा जो
छाडुआं आपणा बिस्तर
भक्त डूबी गए आपणी भक्तिआ मंझ
अल्लाह, राम, वाहेगुरु रा नावं ल्उआं
हरेक भ्याग एक गीत गाहीं
पुरे जगता रे सरीरा मंझ जान पाउआं
न्ओएं सफरा रा रस्ता दसा हीं

बाल काहणी

हुदहुद लोमड़िया री करामात

✍ सुनंदा गुप्ता

इक जंगले च हुदहुद नावें दी इक लोमड़ी रैहंदी थी। सै लोमड़ी मती चलाक होर ठग्ग थी तिसा रे बोलणे दा तरीका इतणा प्यारा था, भई पूछो ही नी। इक जानवरे री चुगली दुजे कन्ने करणी होर किसी जानवरे री मुंहें सामणे बढ़ायी कर दैणी होर पीठी पीछे तिसरी बुराई पर किसी भी जंगला रे जानवरा जो हुदहुद लोमड़िया री चलाकी समझा नी आयी। हुदहुद लोमड़ी जानवरा रे स्कूला च मास्टरनी लगूदी थी होर तिसा री स्कूले दी प्रबंधन समितिया रे अध्यक्ष कन्ने खरा मेल मलाप था। तिस लोमड़िया रे दोनों मूंडू जंगला रे ही किसी होर स्कूला च पढ़या करदे थे। लोमड़ी इतनी आलसी होर निकम्मी थी भई पूछो ही नी। सै कदी भी स्कूला च टैमे री नी पुजदी थी होर अपणे स्कूला रे स्टॉफा कन्ने भी सै अपणी चलाकी करणे ते बाज नी औंदी थी। जंगले रे राजे शेर सिंह जो तिस हुदहुद लोमड़िया रे बारे च कई शिकायतां मिलया करदियां थियां। इक दिन सै मौका देखी कन्ने उथी स्कूला च पुज्जी गया तिन्हे देख्या भई जंगला रे जानवरां री शिकायतां ठीक हाईयां तिन्हे अपणे सलाहारा चीते रामे ते पूछया भई हुण तिस स्कूले री हुदहुद लोमड़ी मास्टरनिया रा क्या करिए? चीते रामे अपणिया मुंछा जो ताव दित्या होर वोलणे लग्या माराज ऐहड़ा करदे भई पैहले असें जलपान करी लैंदे होर फेरी इस मामले जो देखदे, क्या पता ताहणी जो हुदहुद लोमड़ी महाराणी जी आयी जाओ। शेर महाराजे वोल्यां ठीक हया पैहले असें कुछ खायी पी लैंदे।

शेर महाराज होर चीता राम जलपान करया करदे थे ताहलू जो हुदहुद लोमड़ी भी उथी पुज्जी गई तिसे देख्या भई अज तां हालत माड़ी हायी। तिसे फटाफट शेर महाराजे जो चीते जो नमस्ते किती होर वोलणे लगी महाराज अज तुसें इस स्कूला च आयी कन्ने चार चंद लगायी दित्ते मैं तुसां गे अप्पू ही औणा था होर तुसां जो न्यूंदा भी देणा था असें स्कूला च इक बौहत बदिया कार्यक्रम करवाया करदे बस तिस कार्यक्रमां दिन–रात बड़ी मेहनत करने पौंदी हाऊं राती जो एक बजे तै पहले नी सोई पांदी कन्ने सबरे भी पंज बजे उठी जांदी। तुसें दस्सो भई जे कार्यक्रम सफल बनाणा हो तां तिस खातर खूब मेहनत करणे पौंदी सै हाऊं करया करदी मेरा स्कूले रा स्टॉफ भी बड़ा बदिया हाया। शेर महारजा तुसें इथी आऊरे तां मेरी मुश्कल भी हल होई गई। बदलू हाथी, चमचम गीदड़, कालू भालू, दमदम खरगोस, चेत हिरण, बकबक गधा, तेलू चमगादड़, शेरू कुत्ता, भूरा लक्कड़बग्घा कन्ने होर बथेरे जानवरे तुसां री सिर्फ तस्वीर ही देखूर री अज तिन्हें तुसां जो पछाणी भी लैणा भई ये म्हारे जगले रे राजा हाये। हुदहुद लोमड़ी दौड़ी कन्ने स्कूले री सारियां कलासां च गई होर सबणी जानवरों जो समझाया भई देखो जे तुसें जंगला रे राजे जो देखणा तां तुसें सवणी मिली जुली कन्ने तिसजो नमस्ते करणी होर तिसरे पैरा च मत्था टेकणा जिन्हें मत्था नी टेक्या तिसजो शेर राजे कच्चा–कच्चा ही खाई जाणा होर तुसें सवणी वोलणा माराज की जय हो, अज तुसां रे दर्शन करी कन्ने म्हारा पढ़ाईया रा सिलेबस पूराहो गया। लोमड़िए आई कन्ने शेरे जो वोलया माराज स्कूला रे जानवर तुसां जो देखणे खातर इतने उताबले हाये भई हाऊं क्या दस्सूं? शेर राजा खुश होई गया तिन्हे लोमड़िया जो गलाया भई तू जा होर तिन्हा जो इथी बुला, हाऊं भी देखूं सै अपणे राजे जो कितणा प्यार करूंये। जानवरा री भीड़ देखी कन्ने चीता होर शेर राजा खुश होई गए। शेरे जो लग्या भई इस स्कूले रा अनुशासन तां बौत बदिया हाया सारे जावर तिसरी जै–जै कार करया करदेहोर सै बड़े भारी खुश हाये। शेर राजे स्कूला रे सारे स्टॉफा री तरीफ कित्ती होर चीते राम जो गलाया भई तू अपणी रिपोटा च ये गल्ल लिख भई हुदहुद लोमड़ी रा कम्म करणे दा अंदाज बड़ा बदिया हाया इस खातर तिसा ते असां जो कोई शिकायत नी हायी। होर तिसा जो अगले साल इनामा रे तौरा पर इक घरा बनाई कन्ने देणा।

शेर राजा खुश होई गया तिन्हे लोमड़िया जो गलाया भई तू जा होर तिन्हा जो इथी बुला, हाऊं भी देखूं सै अपणे राजे जो कितणा प्यार करूंये। जानवरा री भीड़ देखी कन्ने चीता होर शेर राजा खुश होई गए। शेरे जो लग्या भई इस स्कूले रा अनुशासन तां बौत बदिया हाया सारे जावर तिसरी जै–जै कार करया करदेहोर सै बड़े भारी खुश हाये।

पांच जिलों में लागू होगी ₹321 करोड़ की कृषि विविधता ...

(पृष्ठ एक का शेष) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करने के लिए भी प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी प्रदेश सरकार की हर नीति व कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु है, जिनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर व उनके तीव्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित बनाकर इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। गत चार वर्षों में प्रदेश सरकार की प्रगतिशील, विकासोन्मुखी तथा कल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों से हर परिवार व व्यक्ति को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है।

प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार जेपी समूह को समीरपुर बहुतकनीकी संस्थान में बी-टैक पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करेगी जिससे आगामी सत्र से युवाओं को इस व्यवसायिक पाठ्यक्रम की सुविधा प्राप्त हो सके। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरम्भ किया जा रहा हैं जिससे युवाओं को व्यवसायिक शिक्षा की सुविधा मिल सके। प्रदेश सरकार ने गत चार वर्षों में 63,300 शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार मात्र 3,386 रोजगार ही उपलब्ध करवा पाई थी। प्रदेश सरकार व्यवसायिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रही है, जिसके दृष्टिगत प्रदेश में स्थापित आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त सभी युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2010-11 ने बढ़कर 58,493 रुपये हो गई है, जिसमें चालू वित्त वर्ष में और वृद्धि अपेक्षित है। उन्होंने विद्यालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को याद करते हुए अपने सहपाठियों का जिक्र भी किया।

शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर दास धीमान ने मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा क्षेत्र में 19 प्रतिशत बजट अर्थात 3,165 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश सरकार ने अधोसंरचना सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 398 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से अपने पूर्व कार्यकाल में 24 बी.एड. कालेज आरम्भ किए थे और आज किसी भी युवा को बी.एड, करने के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।

सांसद तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, निफ्ट, ईएसआई मेडिकल कालेज, होटल प्रबन्धन संस्थान सहित अनेकों राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षा संस्थान आरम्भ हुए हैं, जिनमें युवाओं को विश्व स्तरीय गुणात्मक शिक्षा सुविधाएं प्रदेश के भीतर ही उपलब्ध हो रही हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के राष्ट्रीय उच्च मार्गों के लिए केन्द्र से 400 करोड़ रुपये स्वीकृत करवाए गए हैं तथा रेलवे लाईन को अम्ब तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे तलवाड़ा तक बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर जिला भाजपा महामंत्री श्री राकेश ठाकुर ने विकास गतिविधियों का विस्तृत ब्योरा दिया। स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री प्रेम चंद ने विद्यालय के इतिहास पर प्रकाश डाला।

एपीएमसी के अध्यक्ष तथा भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष श्री प्यारे लाल शर्मा, कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री रसील सिंह मनकोटिया, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री देस राज शर्मा, राज्य भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र अत्री, उपायुक्त श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री कुलदीप शर्मा, प्रारूपकार श्री विजय उप्पल, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक राजीव शर्मा, लोक निर्माण के मुख्य अभियन्ता श्री बी.टी. नेगी, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री अशोक श्रीधर तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिशु लिंग अनुपात में सुधार

(पृष्ठ एक का शेष) स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा, इकलौती लड़की के लिए एम.फिल के एक सीट का आरक्षण तथा एक लड़की के जन्म पर 25 हजार रुपये व दो लड़कियों के जन्म पर 20 हजार रुपये का प्रोत्साहन दिया जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिशु लिंग अनुपात की गिरती दर को रोकने के लिए प्रभावी अपनाई गई है, जिसके लिए बेटी है अनमोल अभियान के अंतर्गत जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं इसके लिए प्रभात फेरियां, आगंनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूह, महिला एवं युवक मण्डलों व स्कूली विद्यार्थियों के सहयोग से रैलियां तथा विशेष हस्ताक्षर अभियानों जिसमें लगभग एक लाख के हस्ताक्षर एकत्रित किए गए, जैसे प्रभावी जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश भर में आरम्भ किए गए रक्तदान अभियान, प्रदर्शनी व पारम्परिक मीडिया अभियान इसके प्रमुख आकर्षण हैं। उन्होंने अधिकारियों को अल्ट्रासाउंड मशीनों के शत प्रतिशत पंजीकरण व अनुश्रवण सुनिश्चित बनाने, पुष्ट सूचना प्रणाली विकसित करने व कन्या भ्रूण हत्या के प्रति प्रभावी जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, कमला नेहरू अस्पताल, तीन क्षेत्रीय अस्पताल, टांडा, हमीरपुर, सोलन, चम्बा, कुल्लू तथा ऊना जिलों में पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत रेडियालॉजी, आब्सट्रैटिक्स व गायनोकालोजी में चिकित्सकों को 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 'बेटी है अनमोल कार्यक्रम' के अन्तर्गत जागरूकता अभियान का अगला चरण फरवरी से दिसम्बर, 2012 तक चलाया जाएगा, जिसमें पंचायत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला एवं युवक मंडल और नेहरू युवा केन्द्र को शामिल किया जाएगा।

उपायुक्तों से लम्बित योजनाओं ...

(पृष्ठ एक का शेष) पर तैनात अधिकारियों को क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त संदर्भों के निपटारे के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं के बारे में भी सूचित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को आवश्यक सेवाओं को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक सेवा गारंटी बिल को अपनाया है। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर के कर्मचारी/पटवारी और पंचायत सचिव/पंचायत सहायक आम लोगों के लिए निर्धारित कार्य दिवसों पर उपलब्ध हैं और यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि लोगों को उनकी इच्छानुसार सेवाएं उपलब्ध हों। प्रो. धूमल ने उपायुक्तों को स्थानीय उद्यमियों, ऊर्जा परियोजनाओं के अधिकारियों व अन्य व्यापारिक घरानों को सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रोत्साहन देने का परामर्श दिया ताकि वे क्षेत्र के विकास का हिस्सा बन सकें और स्थानीय लोगों का विश्वास जीत सकें, जो परियोजना कार्य के बेहतर कार्यान्वयन में सहायक होगा। उन्होंने दोनों जिलों की उपलब्धियों की सराहना की और उन्हें प्रत्येक विकासात्मक गतिविधियों के अनुश्रवण को विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित करने की सलाह दी ताकि समाज के पात्र वर्गों को इन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित बनाया जा सके।

ऊना के उपायुक्त श्री के. आर. भारती और चम्बा के उपायुक्त श्री शरभ नेगी ने मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी विभिन्न संदर्भों की स्थिति बारे विस्तृत जानकारी दी और बताया कि अदालतों से सम्बन्धित संदर्भों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया गया है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्री रविन्द्र सिंह रवि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीन चौधरी भी बैठक में उपस्थित थीं।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मनोज कुमार, आयु 34 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री माधव शर्मा, निवासी गांव आंजी, डाकघर चायली, तहसील व जिला शिमला ने अपने सुपुत्र दक्ष का नाम बदलकर देवांग रख लिया है। अत: भविष्य में उसे देवांग के नाम से जाना जाये।

जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं...

(पृष्ठ एक का शेष) कि वे प्लास्टिक एवं पॉलीथीन कैरी बैग के उपयोग से दूर रहें ताकि हिमाचल प्रदेश इस दिशा में देश में आदर्श राज्य बन कर उभर सके। उन्होंने कहा कि राज्य में सतत विकास के लिए एशिया बैंक द्वारा 1000 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किए जाने की संभावना है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ लक्षित लोगों तक पहुंचाएं ताकि लक्षित समूह गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत चार वर्षों में राज्य में वर्तमान सरकार की उपलब्धियां सराहनीय रही है और इन्हें जन-जन तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि सभी राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को अधिमान दिया। 60 हजार करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्हीं के द्वारा आरम्भ की गई थी ताकि देश के प्रत्येक गांव को सड़क के साथ जोड़ा जा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अटल बिजली बचत योजना के तहत 65 करोड़ रुपये व्यय कर 16.5 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को चार-चार सीएफएल नि:शुल्क प्रदान किए हैं, अटल आवास योजना के तहत आवासहीनों को घर निर्माण के लिए 48500 रुपये की सहायता दी जा रही है और अटल स्वास्थ्य योजना के तहत आपातकालीन स्थिति में नि:शुल्क एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

मुख्यमंत्री को इस अवसर पर हमीरपुर भाजपा मण्डल के महासचिव श्री हरीश शर्मा ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5100 रुपये का ड्राफ्ट भेंट किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा के उपरांत जनसमस्याएं भी सुनी और इनके त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर दास धीमान ने इस वित्त वर्ष में राज्य बजट का 19 प्रतिशत अर्थात 3165 करोड़ रुपये शिक्षा क्षेत्र को आबंटित करने तथा गत चार वर्षों में इस क्षेत्र पर रिकार्ड 9891 करोड़ रुपये व्यय करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई 3386 नौकरियों की तुलना में वर्तमान राज्य सरकार ने अभी तक केवल शिक्षा क्षेत्र में ही 14 हजार युवाओं की भर्ती की है तथा 6 हजार और की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। स्कूल नामांकन दर 99.7 प्रतिशत हो गई है तथा ड्राप आउट दर घटकर केवल 3 प्रति हजार रह गई है, जो कि उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए स्कूल प्रबन्धन समितियां तथा सलाहकार समितियां गठित की गई हैं।

जरूरतमंद व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹17 करोड़ प्रदान

(पृष्ठ एक का शेष) दान दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की समस्याओं के निपटारे को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है तथा समस्याओं के निपटारे के लिए प्रभावी प्रयास किए जाते हैं ताकि शिकायतकर्ता को अपनी सुनवाई के लिए राज्य अथवा जिला मुख्यालय तक न आना पड़े। उन्होंने कहा कि इस प्रयास के माध्यम से सरकार तथा लोगों के मध्य दूरी को पाटने में सफलता मिली है। यह सरकार आम आदमी की अपनी सरकार है, जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में गुणात्मक शिक्षा अधोसरंचना सृजित की है ताकि श्रेष्ठ शिक्षा मानक बनाये रखे जा सकें। उन्होंने शिक्षकों, अभिभावकों, माता-पिता और विद्यालय प्रबन्धन समितियों से आग्रह किया कि वे शिक्षा प्रणाली में वांछित गुणात्मक सुधार के लिए सहयोग दें। उन्होंने कहा कि गत चार वर्षों में जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 17 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने राहत कोष में उदारतापूर्वक दान देने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।मुख्यमंत्री को इस अवसर पर श्री राजीव ठाकुर तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोट के कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5100 रुपये का ड्राफ्ट भेंट किया गया। उन्होंने इस अवसर पर स्कूल हाल के निर्माण के लिए दान देने के लिए श्रीमती मनसा देवी और श्री शक्ति चंद को सम्मानित किया। ग्राम पंचायत कोट की प्रधान श्रीमती सुकन्या देवी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर दास धीमान, लोक सभा सांसद एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर, विधायक श्रीमती उर्मिल ठाकुर तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

समृद्धि व स्वावलम्बन

(पृष्ठ 6-7 का शेष) एक का शेष परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत शिमला में 'हैरिटेज म्यूज़ियम' की स्थापना की गई है। पौंग बांध पर्यटन परिसर के सौंदर्यीकरण एवं सुधार का कार्य भी हाथ में लिया गया है। इस परियोजना के पूरा होने पर नि:सन्देह हिमाचल प्रदेश विश्व भर के पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य बन कर उभरेगा।

प्रदेश का तीव्र विकास सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ हमारी सरकार ने सभी वर्गों विशेषकर आम आदमी के कल्याण को भी सुनिश्चित किया है। प्रदेश सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए गत चार वर्षों में अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई है। 'अटल बिजली बचत योजना' के अंतर्गत 65 करोड़ रुपये व्यय कर सभी 16.5 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता को चार-चार सी.एफ.एल. बल्ब मुफ्त दिए गए हैं। प्रदेश के सभी घरेलू एवं कृषि बिजली उपभोक्ताओं को उपदानयुक्त दरों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जा रही है। इस पर प्रदेश सरकार इस वर्ष 166 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

बढ़ती कीमतों से आम आदमी को बचाने के लिए सभी को आवश्यक वस्तुएं उपदानयुक्त दरों पर प्रदान की जा रही है। राज्य के प्रत्येक राशनकार्ड धारक को प्रतिमाह तीन दालें, दो खाद्य तेल सस्ती दरों पर दिए जा रहे है। इस पर राज्य सरकार सालाना 130 करोड़ रुपये व्यय कर रही है। बी.पी.एल. राशनकार्डधारक तथा अति निर्धनों को 'आटा' तथा 'चावल' सहित आवश्यक वस्तुएं अत्याधिक उपदानयुक्त दरों पर प्रदान की जा रही है।

प्रदेश की ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए जा रहे है। राज्य बजट का 12 प्रतिशत इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर खर्च किया जा रहा है। प्रदेश के किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इन योजनाओं में 353 करोड़ रुपये की 'पंडित दीन दयाल किसान-बागबान समृद्धि योजना', 321 करोड़ रुपये की 'फसल विविधिकरण योजना' तथा 300 करोड़ रुपये की 'दूध गंगा योजना' मुख्य रूप से शामिल है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से अधिक से अधिक कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा के अन्तर्गत लाने हेतु इस अवधि के दौरान अनेक कारगर कदम उठाए गए है। राज्य में 2319 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा के अधीन लाया गया। बिलासपुर जिला में 88 करोड़ रुपये लागत की 'चंगर क्षेत्र सिंचाई योजना' का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस योजना से चंगर क्षेत्र में 2350 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। 205 करोड़ रुपये लागत की 'फिन्ना सिंह सिंचाई योजना' का कार्य प्रगति पर है, जिससे 4025 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। 104 करोड़ रुपये की 'बल्ह घाटी सिंचाई योजना' का कार्य शीघ्र पूरा होने की संभावना है, जिससे 2780 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अनेक छोटी एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

लोगों को जवाबदेह, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए है। 'हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी विधेयक, 2011' बनाकर विभिन्न विभागों को जन सेवाओं को निर्धारित समयावधि के भीतर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, इससे प्रशासन में जबावदेही एवं पारदर्शिता आएगी। अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दंडित करने का प्रावधान करने के साथ-साथ उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। अब लोगों को अपना काम करवाने के लिए दर-ब-दर नही जाना पड़ेगा और विलम्ब भी नहीं होगा।

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश विधानसभा के विगत मानसून सत्र में 'हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण) विधेयक, 2011' पारित किया गया है। इसके अंतर्गत भ्रष्ट तरीकों से अर्जित सम्पत्ति को जब्त करने तथा दोषी को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए प्रदेश में विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी।

हाल ही में शिमला में 'जिओ-इन्फॉरमेटिक्स एण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर' की स्थापना की गयी है, ताकि विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विकेन्द्रीकृत नियोजन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा सके।

जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 'प्रशासन जनता के द्वार' शिविर आयोजित किए जा रहे है, जिनमें मैं स्वयं, मंत्रिमण्डल के मेरे सहयोगी तथा प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करते है। इसके अतिरिक्त 'ई-समाधान' के माध्यम से भी जन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। पारदर्शिता बनी रहे, भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे, इसके लिए सभी सरकारी विभागों का 10 हजार रुपये या इससे अधिक की राशि का भुगतान 'ई-पेमेंट' अथवा 'ड्राफ्ट' द्वारा किया जा रहा है। सरकार प्रदेशवासियों को जवाबदेह एवं पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध करवाने के प्रति वचनबद्ध है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में नहीं हिचकिचाएगी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो।

हमारा प्रयास हिमाचल प्रदेश को समृद्ध, स्वावलम्बी तथा देश का आदर्श राज्य बनाना है। पूर्ण राज्यत्व दिवस के इस पावन अवसर पर आओ हम सब एकजुट होकर एक ऐसे हिमाचल के निर्माण के लिए कार्य करें जो हो सबसे ऊपर।

जय हिन्द! जय हिमाचल।

डाक पंजीकरण संख्या : एच.पी./42/एस.एम.एल. 2012-14 साप्ताहिक आर.एन.आई. 32195/78

हमीरपुर में 247 करोड़ की चार जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं का निर्माण विचाराधीन

राज्य सरकार जिला हमीरपुर में 247 करोड़ रुपये की चार महत्वाकांक्षी जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर विचार कर रही है।

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने यह जानकारी गत दिनों जिला हमीरपुर के डिडवीं टिक्कर में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए दी। इससे पूर्व उन्होंने जिला हमीरपुर के तीन दिवसीय शीतकालीन प्रवास के दूसरे दिन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डिडवीं टिक्कर में 72 लाख रुपये की लागत से नव निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण किया।

प्रो. धूमल ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न बाह्य एजेंसियों से वित्तपोषण के लिए चार परियोजनाएं केन्द्र सरकार को प्रेषित की हैं। नादौन क्षेत्र के लिए अनुमानित 104.50 करोड़ रुपये की मध्यम सिंचाई योजना, हमीरपुर शहर के लिए अनुमानित 80.50 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना, सुजानपुर के लिए अनुमानित 20.25 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना तथा नादौन शहर के लिए अनुमानित 41.42 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना इनमें शामिल है। इन परियोजनाओं की स्वीकृति से जिले में बेहतर पेयजल आपूर्ति एवं सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि जिले में पेयजल आवश्यकताओं के लिए 2816 हैंडपम्प स्थापित किए गए हैं।

मुख्य मंत्री ने टिक्कर सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए तीन लाख रुपये, टिक्कर में वर्षा शालिका के निर्माण के लिए एक लाख रुपये, कक्ड़याना तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए दो लाख रुपये, कक्ड़याना में हैंडपम्प स्थापित करने के लिए 1.75 लाख रुपये और ताल से कपोटी तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए एक लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

मुख्य मंत्री को इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डिडवीं टिक्कर के शिक्षक समुदाय द्वारा मुख्य मंत्री राहत कोष के लिए 11 हजार रुपये का ड्राफ्ट भेंट किया गया।

शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर धीमान ने कहा कि गत चार वर्षों में राज्य में शिक्षा क्षेत्र का उल्लेखनीय विकास हुआ है।

सांसद श्री अनुराग ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्री रविन्द्र सिंह रवि, विधायक श्रीमती उर्मिल ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

बलोह में उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने गत दिनों हमीरपुर जिला के बलोह गांव में 5.18 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इस योजना से जिले के अमान, कटोची और सेर मेहल गांव लाभान्वित होंगे।

इस महत्वाकांक्षी योजना से क्षेत्र के 35 गांव के 10 हजार लोग लाभान्वित होंगे और इस योजना के पूर्ण होने से उन्हें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी उपलब्ध होगा। इससे पूर्व मुख्य मंत्री ने बलोह में 14 लाख रुपये की लागत से नव निर्मित आयुर्वेदिक अस्पताल भवन को क्षेत्र के लोगों को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले में 48 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि 22 नए अस्पताल भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने राज्य में परम्पारिक

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर जिले के समीरपुर में जनसभा को सम्बोधित करते हुए।

उर्मिला सिंह
राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

सत्यमेव जयते

गणतंत्र दिवस पर सन्देश

26 जनवरी, भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है। सन् 1950 में, इसी दिन भारत के संविधान को अपनाया गया और विविधता से परिपूर्ण हमारा देश एकता व एकात्मकता के सूत्र में बंध गया। आज जब हम उमंग और उल्लास के साथ 63वां गणतंत्र मना रहे हैं, मैं समस्त देशवासियों विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ।

हमारा महान देश एक सुन्दर इन्द्रधनुष की भान्ति है, जहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों और सम्प्रदायों के लोग मिलजुल कर शान्तिप्रिय ढंग से रहते हैं। अनेकता में एकता ही हमारे राष्ट्र की विशेषता है और भारत का संविधान इसकी शक्ति है। गणतंत्र दिवस भारत की इसी एकता और शक्ति का प्रतीक है।

यह प्रसन्नता की बात है कि देशवासियों ने संविधान के शाश्वत मूल्यों — स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना में अपनी आस्था हमेशा बनाए रखी है। राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सौहार्द और आपसी सद्भाव की उच्च परम्पराओं को मजबूती प्रदान करने में हिमाचलवासियों की भूमिका भी सराहनीय रही है, जिसके लिए सभी प्रदेशवासी बधाई के पात्र हैं।

हिमाचल प्रदेश शान्ति और शौर्य की अनुपम मिसाल है। प्रदेशवासी स्वभाव से शान्तिप्रिय हैं, राष्ट्र निर्माण में पूरी शक्ति के साथ हैं और राष्ट्र की रक्षा में बहादुरी के साथ तत्पर हैं। यहाँ के वीर सपूत देश की एकता एवं अखण्डता को बनाए रखने में सदैव अग्रणी रहे हैं, जो एक गर्व की बात है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे प्रदेश ने देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यह पहचान हमेशा कायम रहे, इस के लिए हम सब को एकजुट होकर मेहनत और सेवा भाव से कार्य करते रहना होगा।

गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई देती हूँ और आग्रह करती हूँ कि हम सब राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पण और निष्ठा से कार्य करने का पुनः संकल्प लें।

जय हिन्द।

(उर्मिला सिंह)

टौणी देवी मंदिर का सौंदर्यकरण कार्य आरम्भ

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि जिला हमीरपुर में पर्यटन प्रोत्साहन पर 5.39 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। मुख्य मंत्री गत दिनों जिला हमीरपुर के टौणी देवी मंदिर में 35 लाख रुपये की लागत से मंदिर के सौंदर्यकरण कार्य के शुभारम्भ अवसर पर लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन विकास के लिए अधोसंरचना स्तरोन्नत करने की महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में 2 करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिला पार्किंग विकसित की जाएगी, 15 लाख रुपये की लागत से गसौता महादेव मंदिर के आस-पास के क्षेत्र का सौंदर्यकरण किया जाएगा, 13 लाख रुपये की लागत से भौंकर में शिव मंदिर का पुनरूद्धार कर इसे पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, दयोटसिद्ध में 84 लाख रुपये की लागत से पर्यटन स्वागत केन्द्र तथा पार्किंग विकसित की जाएगी, नादौन में 75 लाख रुपये की लागत से रिवर राफ्टिंग केन्द्र विकसित किया जाएगा, तरघेल में 32 लाख रुपये की लागत से वे-साईड सुविधाएं सृजित होंगी और सुजानपुर में 50 लाख रुपये की लागत से एक और पर्यटन स्वागत केन्द्र निर्मित किया जाएगा। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर हमीरपुर जिला भव्य रूप में उभर कर सामने आएगा। शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर दास धीमान, सांसद श्री अनुराग ठाकुर, भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

> हमीरपुर जिले में पर्यटन प्रोत्साहन पर व्यय होंगे 5.39 करोड़

20 अस्पतालों में आरम्भ होगी अस्पताल प्रबन्धन सूचना प्रणाली

राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को आधुनिकतम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और स्वास्थ्य प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के माध्यम से जन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के प्रति वचनबद्ध है।

यह जानकारी डा. राजीव बिंदल ने गत दिनों शिमला में 'जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य प्रबन्धन सूचना प्रणाली की सूचना को निर्देशित करना' विषय पर आयोजित दस दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए दी। इस कार्यशाला का आयोजन सोसायटी फॉर हेल्थ इफंरमेशन सिस्टम प्रोग्रामज (एचआईएसपी) द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में प्रदेश के 20 अस्पतालों में अस्पताल प्रबन्धन सूचना प्रणाली कार्यान्वित की जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन सभी अस्पतालों को स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क/वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एचआईएमएस एकीकृत कम्प्यूट्रीकृत क्लीनिकल सूचना प्रणाली है, जो बेहतर अस्पताल प्रशासन एवं रोगी की देखभाल में सहायक है।

उन्होंने कहा कि इससे रोगियों का स्टीक एवं इलैक्ट्रॉनिकली उपलब्ध चिकित्सीय रिकार्ड तैयार किया जा सकेगा। यह रिकार्ड अनुसंधान एवं सांख्यिकी कार्यों में उपयोग में लाया जा सकेगा। एचआईएमएस 31 मार्च, 2012 से पहले प्रदेश के 6 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, मण्डी, कांगड़ा और ऊना में कार्यान्वित की जाएगी। शेष अन्य 6 जिले वर्ष 2012-13 में इसके तहत लाए जाएंगे। इस कार्य के लिए राज्य स्तर पर एक डाटा केन्द्र की स्थापना की जाएगी, जहां सभी अस्पतालों का डाटा एकीकृत कर ऑन लाइन उपलब्ध करवाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसके लिए 15 अस्पतालों का प्रणाली अध्ययन पूरा कर लिया गया है तथा शेष लक्षित अस्पतालों का आवश्यक अध्ययन मार्च 2012 तक कर लिया जाएगा। एचआईएमएस को पॉयलट आधार पर गत वर्ष दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में कार्यान्वित किया गया था, जिसके तहत पंजीकरण इत्यादि नौ प्रणालियां विकसित की गई थीं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के राज्य मिशन निदेशक श्री राकेश कंवर ने राज्य में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

कुठेड़ा में कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक की 163वीं शाखा खुली

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने गत दिनों हमीरपुर जिला के कुठेड़ा गांव में कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक की 163वीं शाखा का लोकार्पण किया। मुख्य मंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि अगले एक वर्ष में इस बैंक की राज्य के विभिन्न भागों में 31 और शाखाएं खोली जाएंगी।

मुख्य मंत्री ने कहा कि गत चार वर्षों में कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और लोगों को उत्तम बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि बैंक की अभी तक कुल अर्जित कार्य पूंजी लगभग 6 हजार करोड़ रुपये है, जिसमें से आधे से अधिक ऋण के रूप में वितरित कर बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया गया है। सहकारी क्षेत्र में यह बैंक लोगों को आधुनिक सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है, जिसके लिए प्रबन्धन तथा कर्मचारी बधाई के पात्र हैं।

उन्होंने घोषणा की कि कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक की कुठेड़ा शाखा में शीघ्र ही एटीएम सेवाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी।

> बैंक की 120 शाखाओं में कोर बैंकिंग सोल्यूशन सुविधा उपलब्ध

प्रो. धूमल ने कहा कि राज्य सरकार शहरी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है ताकि ग्रामीण इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए शहरों की ओर पलायन न करें। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना इसी दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2012 तक बैंक की 14 और अगले वर्ष 17 शाखाएं और खोली जाएंगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का और विस्तार हो।

स्थानीय विधायक श्रीमती उर्मिल ठाकुर ने क्षेत्र के 47 गांवों को पेयजल सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति हेतु मुख्य मंत्री का आभार व्यक्त किया।

कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री रसील सिंह मनकोटिया ने मुख्य मंत्री का स्वागत करते हुए कुठेड़ा शाखा का लोकार्पण करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बैंक की 120 शाखाओं में कोर बैंकिंग सोल्यूशन सुविधा उपलब्ध है तथा बैंक की 31 शाखाओं को शीघ्र ही एटीएम सुविधा से जोड़ा जायेगा।

प्रकाशकः बी.डी. शर्मा, निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हि.प्र. शिमला–171002, मुद्रकः डी.डी. शर्मा, नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, शिमला–171005, फोनः 2830378, प्रधान सम्पादकः बी.डी. शर्मा, वरिष्ठ सम्पादकः यादविन्दर सिंह चौहान,
कार्यालयः हि.प्र. मुद्रणालय परिसर, शिमला–171005, फोन व फैक्सः 2633145, ई–मेलः girirajhp@gmail.com., girirajhp@yahoo.co.in OR girirajweekly 1978@yahoo.co.in प्राप्ति स्थानः गिरिराज कार्यालय। (गिरिराज साप्ताहिक में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचारों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं)